राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का २२ वां दिवस [संख्या १६

सोमवार, दिनांक २४ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८. ०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वन, शिक्षा, पंचायत, यातायात, समाज कल्याण, देवस्थान–विभाग)

कृषि भूमि में वृक्ष

४०६. श्री **मनफूलसिंह** (सूरतगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सांगरिया मंडी से मानकसर स्टेशन तक भाखरा नहर की सादूलसिंह ब्रांच और रेलवे लाइन के मध्य में लगभग १० मील लम्बा फोरेस्ट है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस फोरेस्ट में वृक्ष लगाने शुरु कर दिये हैं ? आज तक कितने पेड़ इस फोरेस्ट में लगे हैं और कब से लगाने शुरु किये हैं ?

(३) क्या जितने भी पेड़ लगाये गये हैं वे सब लग चुके हैं ? यदि नहीं तो जितने नहीं लगे हैं उनका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत कीमती है ? यदि हां, तो क्या ऐसी कीमती जमीन में फोरेस्ट लगाना जरूरी है ?

(५) अगर इस भूमि में अभी तक फोरेस्ट नहीं लगा है तो सरकार बागात जैसी स्कीम इस जमीन पर लागू करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब अभी दे नहीं सकता अतः इसको अगली टर्न के लिये पोस्टपोन किया जाय।

श्री मंनफूलसिंह् : इसका उत्तर आना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय ।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : इसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : सामान्य नीति क्या है इसमें रद्दो बदल करने का विचार कर रहे हैं क्या ? या आप आंकड़े आने पर ही जवाब देंगे ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : आंकड़े आयेंगे तभी जवाब दूंगा ।

प्रश्न संख्या ४०७

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०८

श्रीमती गौरी पूनिया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४०९

श्री हरिदत्तसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह

सांकरोदा मिडल स्कूल में कमरों का अभाव

४१०. **श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सांकरोदा (गिरवा क्षेत्र) में गांव वालों ने श्रमदान करके मिडल स्कूल के लिये सात कमरों का निर्माण किया था लेकिन अब भी इस स्कूल में विद्यार्थियों के लिये स्थान अपर्याप्त है और कुछ कक्षायें गांव में किसी अन्य स्थान पर लगती हैं ?

(२) क्या सरकार कमरों के अभाव की पूर्ति के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, सांकरोदा (गिरवा क्षेत्र) के ग्रामवासियों ने माध्यमिक शाला भवन के लिये सात कमरों का निर्माण किया था जिसमें विकास खंड गिरवा से ५,००० रु० की धनराशि सहायता के रूप में दी गई थी । इस शाला का प्राथमिक खंड इसी गांव में अन्य स्थान पर राजकीय भवन में इसी शाला के अधीनस्थ चल रहा है ।

(२) दोनों भवनों को मिलाकर शाला में स्थान पर्याप्त है । अतः कमरों के अभाव की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जोधसिंह चौहान : वहां पर स्थान की कमी है गांव वालों की रिपोर्ट है आप चाहें तो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिये अलग अलग भवन हैं। माध्यमिक शाला में अच्छी तरह से पढाई हो रही है। दोनों के लिये अलग अलग भवन है जो पर्याप्त है।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शाला के लिये भी कमरे छोटे हैं उनमें से पानी गिरता है। ऐसा है कि आप पधार कर देख लीजिये आपको मैं भी कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। किराये का मकान ले रखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों भवन सरकार के हैं और अलग अलग चलते हैं।

श्री ए० जब्बार (निम्बाहेड़ा) : आप वहां की व्यवस्था से सन्तुष्ट हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : माध्यमिक शाला की व्यवस्था से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूं।

जयपुर–बीकानेर रूट का राष्ट्रीयकरण

४११. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे;–

(१)जयपुर–बीकानेर रूट का राष्ट्रीयकरण किए जाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(२)इस रुट का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा?

मंत्री, यातायात (श्री हरीभाऊ उपाध्याय): (१)अभी तक उक्त रुट सन् १९६० से१९६६ की राष्ट्रीयकरण की सूची में नहीं लिया गया है।

(२)इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में यह प्रश्न पूछा था उस समय भी मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस रुट का राष्ट्रीयकरण जल्दी ही कर दिया जायेगा। और मैंने जब पूछा तो बताया गया कि अप्रेल में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। और यह मेरे पास लिखित में जवाब है और अब आप कह रहे हैं कि इसके लिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री हरीभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, १९६६ तक की अभी योजना है उसमें यह रुट को नहीं लिया गया है। ६६ के बाद इस लिया जायेगा।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: जो योजना बनाई गई थी उसमें यह रुट नहीं आ सका था उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नाई : (सांचोर) क्या जयपुर से बीकानेर डामर रोड नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उस समय नहीं थी।

Page No. 4

श्री फूलचन्द जैन : मैं समझता हूँ कि इसको दुबारा चैक-अप किया जाना चाहिए मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसको और देख लूँगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : राष्ट्रीयकरण के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट आई थी कि इन इन रुट्स का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यहां कमेटी का नहीं है। इनरुट्स के बारे में पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

रिफोरमेटरी स्कूल

४१२. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में रिफोरमेटरी स्कूल कितने हैं और कहां कहां हैं तथा इनमें कितने व्यक्ति सुधार के लिए भर्ती हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार की ओर से राज्य के सारे मजिस्ट्रेट्स को इन स्कूलों के विषय में जानकारी दी गई है ? यदि हां, तो जानकारी किस विज्ञप्ति द्वारा या सूचना द्वारा दी गई है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि प्रबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट के अनुसार नाबलिग को जेल भेजने का प्रावधान नहीं हैं और यदि जाप्ता फौजदारी की दफा १०९ के तहत किसी आवारा नाबालिग से जमानत मांगी जावे और जमानत न देने की सूरत में जेल जाना पड़े तो ऐसे नाबालिग के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) राजस्थान में रिफोरमेटरी की कोई स्कूल नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रोबेशन आफ ऑफेन्डर एक्ट के अनुसार पर्सनल बोंड या जमानत पर केवल अपराधी को छोड़ा जा सकता है। धारा १०९ के तहत पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी नहीं होता। अपराध करने की शंका उसके प्रति रहती है यह भी जमानत पर या केवल पर्सनल बौंड पर छोड़ा जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नाबालिक को चाहे अपराधी हो या १०९ में आवारा समझकर पकड़ा गया हो, उसकी जमानत भी हो जायेगी और मान लो कि उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं है और जेल में उसको आप भेजते नहीं तो उसको रखने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई स्थान नियुक्त कर रखा है या कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार के ध्यान में है या सोचती है व्यवस्था करने का ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब तक जुवीनाइल ऑफेन्डर्स एक्ट और चिल्ड्रन्स रिफॉर्म्स एक्ट पास नहीं होते तब तक ऐसा प्रावधान कोई नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : टोंक में रिफोर-मेटरी स्कूल थी उसको सरकार ने क्यों हटाया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया कि जब तक इस तरह का कोई लेजिस्लेशन पास नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं हो सकता।

श्री अब्दुलजब्बार : हैबीचुअल ऑफेन्डर्स आते हैं उनके कारनामों का रिफ्लेक्शन नाबालिग बच्चों पर न पड़े इसलिए पहले रिफोरमेटरी स्कूल टोंक में थी यह क्यों हटाया सरकार ने ?

श्रीमती प्रभामिश्रा : यह अलग प्रश्न है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह जानकारी प्राप्त करके निवेदन कर दूँगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई नाबालिग ऑफेन्स कमिट करता है और उस बच्चे की जमानत कोई देता नहीं है तो उसको पनिशमेंट के लिए जेल भेजेंगे या रिफोरमेटरी स्कूल में भेजेंगे ? अब तक सरकार उनको कहाँ भेजती आई है ? या जेल का नाम ही रिफोरमेटरी स्कूल रख दिया जाता है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वैसे तो जेल में भी रिफोरमेटरी वर्क का प्रावधान है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि जब तक जुबी-नाइल ऑफेन्डर्स एक्ट पास नहीं हो जाता, कानूनी प्रावधान कोई नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कानूनी प्रावधान का प्रश्न नहीं है। जैसे आप जेल में भेजते हैं तो उसे जेल में भेजा माना जायेगा या रिफोरमेटरी स्कूल आप जेल को नहीं समझते हैं ऐसा कह दीजिए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा स्कूल उदयपुर में है लेकिन उसको एक्ट के तहत नहीं माना जा सकता ताकि उन्हें वहां पर भेजा जा सके। वहां केवल डेलीगेट्स भेजे जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप कानून में व्यवस्था करते रहें लेकिन नाबालिगों को वहां भेजा जाये और उनका सुधार किया जाये ऐसी क्या आपने हर मजिस्ट्रेट को इत्तला कर रखी है कि उनको जेल में न भेजकर वहां पर भेजा जाये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कानूनी तौर से ऐसी चीज नहीं है। सन् ६१ में यह स्कूल खोला गया है। इस तरह का कानून लाने का सरकार का विचार है। उसके आते ही यह कार्य किया जा सकेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब वहां पर नाबालिग अपराधियों को भेजा नहीं जाता तो फिर इस स्कूल पर रुपया क्यों खर्च करते हैं। मजिस्ट्रेट्स को इनफॉरमेशन भेजते नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो इसको बन्द कर देना चाहिए और जब कानून आये तब अच्छी स्कूल चलाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

Page No. 6

खेमली ग्राम में पंचायत टेक्स की वसूली

४१३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] :क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मावली तहसील के खेमली गांव में पटवारी ने पंचायत टैक्स वसूल किया ?

(२) यदि हां, तो यह कौन सा टैक्स था व कब लगा ? और कहां कहां पर वसूल हुआ ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : वहां पर पटवारी ने टैक्स वसूल किया है क्या यह सही है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने प्रश्न पूछा कि पटवारी ने टैक्स वसूल किया मैंने कहा जी नहीं। पंचायत ही वसूल करती है।

श्री अब्दुलजब्बार : वह पंचायत टैक्स होगा लेकिन वसूल कौन करता है ?

श्री जोधसिंह चौहान : मैं किसान हूं मुझसे वसूल कियाहै। मैं जानता हूं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जहां का प्रश्न पूछा गया है वहां पर पटवारी ने टैक्स वसूल नहीं किया।

श्री अब्दुलजब्बार : पटवारी जो एजेन्सी माना जाता है पंचायत कर के नाम से कर रखा है समिति कर से कर रखा है ५ पैसा रुपया के ऊपर लगा रखा है। पटवारी जाता है, पटवारी ने किया या नहीं आप कहते हैं कि नहीं मैं निवेदन करूंगा कि पटवारी एजेन्सी है जो कि तमाम टैक्स कोआपरेटिव सोसाइटी के भी लेकर जमा करता है तो सारे टैक्स जमा कराने की वही एक एजेन्सी है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति का जो टैक्स होता है वह पटवारी वसूल नहीं कराता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४१४

श्री हरिप्रसाद शर्मा :

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल

उदयपुर-सलूम्बर रूट की बसें

४१५. श्री देवीलाल (सरड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर-सलूम्बर रूट पर कितनी बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस रूट पर गाड़ियों की संख्या कम होने के कारण बसों में काफी भीड़ रहती है और उनमें प्रायः

Page No. 7

(श्री देवीलाल)

स्वीकृत संख्या से अधिक सवारियां रहती हैं ?

यातायात, मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) उदयपुर-सलूम्बर रूट पर ६ बसें चलती हैं।

(२) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री देवीलाल : सुना नहीं, जरा फिर से कहें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: उदयपुर सलूम्बर रूट पर ६ बसें चलती हैं।

(२) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं लेकिन उस रूट की बसों को देखा जाये तो मालूम होगा कि उनमें जगह नहीं होती है जितनी सीट हैं उनसे भी ज्यादा सवारियां भरते हैं। गाड़ियों की संख्या कम होने की वजह से आदमियों को बकरियों की माफिक भरा जाता है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जायेगी क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे सीधे उदयपुर से सलूम्बर ६ बसें चलती हैं लेकिन बांसवाड़ा जाने वाली भी ६ गाड़ियां और चलती हैं। इस तरह से १२ गाड़ियां हो गई। कोई भीड़ की शिकायत नहीं है।

श्री देवीलाल : क्या गाड़ियों का और परमिट दिया जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १२ गाड़ियां चल रही हैं। अगर नियमानुसार परमिट की आवश्यकता होगी तो विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालोर में लड़कियों के लिए उच्चत्तर माध्यमिक पाठशाला एवं कालेज

४१७. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या यह सच है कि जिला जालोर में अभी तक एक भी कालेज और लड़कियों के लिए एक भी उच्चत्तर माध्यमिक पाठशाला नहीं है ? अगर हां तो यह सरकार कब तक खोल देगी ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : लड़कियों के लिये जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल, जुलाई १९६४ से बना दिया गया है कालेज खोलने के विषय में आगामी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माध्यमिक शाला कब खोल रहे हैं ? जालोर में अभी तक एक भी कालेज और लड़कियों का उच्चतर माध्यमिक पाठशाला एक भी नहीं है और आपने कहा कि खोल दिया जायेगा तो वह कब ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सुनो भई। खोल दिया गया है लड़कियों के लिए और कॉलेज खोल दिया जायेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : वहां भी १५ हजार लेने के बाद खोला है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : लड़कियों की पाठशाला खोली है चौसठ में और कालेज आगामी पंचवर्षीय योजना में खोल दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार यह विचार रखती है कि जिन जिलों में एक भी कालेज नहीं है वहां सर्वप्रथम ही खोले ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जी हां। सरकार की यह नीति है कि जिन जिलों में हैडक्वार्टर्स पर कालेज नहीं है प्राथमिकता उसको दी जाये।

श्री भीमसेन : प्राथमिकता दी जाये या खोल ही देंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आर्थिक प्रश्न के साथ में यह प्रश्न भी नत्थी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस जिले में एक भी कालेज नहीं है वहां तो खोलना ही पड़ेगा नहीं तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : शिक्षा को बढ़ाना है तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर एक कालेज देना है। जहां नहीं है थोड़ा सा प्रश्न आर्थिक व्यवस्था का आता है। वैसे सबसे पहले जालोर का प्रश्न हमारे दिमाग में है।

स्कूलों में गणित की प्रणाली

४१८. **श्रीमति नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में गणित की दोनों प्रणालियां अपनाई जा रही हैं, जैसे :—

रु०	आ०	पा०	रु०	न०	पै०
मन	से	छटांक		किलो	ग्राम
गज	फुट	इन्च		मीटर।	

(२) यदि हां तो क्यों ?

(३) क्यों नहीं सरकार द्वारा केवल एक ही प्रकार की नवीन प्रणाली अपनाई जाती ?

उप-मंत्री गृह एवं शिक्षा (श्री निरंजन नाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) नेशनेलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स बोर्ड द्वारा प्रकाशित गणित की प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पुस्तकों में प्राचीन प्रणाली (रुपया, आना, पाई, मन, सेर, छटांक, गज फुट, इन्च, इत्यादि) हैं। भारत सरकार द्वारा नवीन प्रणाली के अपनाने पर बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी आवश्यक संशोधन हेतु एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसने

Page No. 9

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पुस्तकों को संशोधित कर एवं पुनः लिखकर प्रस्तुत किया है, जिनका समीक्षण अभी हो रहा है।

बालकों को नवीन प्रणाली के आधार पर ज्ञान देने हेतु बोर्ड द्वारा सन् १६६० में कक्षा सात व आठ में व सन् १६६२ में कक्षा तीन से छः तक की गणित कीः पुस्तकों में नवीन मेट्रिक प्रणाली के अध्याय जोड़ दिये गये हैं।

(३) समीक्षण रिपोर्ट्स के प्राप्त होने के पश्चात् जो गणित की पुस्तकें प्रकाशित की जावेंगी, उनमें केवल नवीन प्रणाली पर आधारित पुस्तकें ही छपवाई जावेंगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): जब भारत सरकार ने इस पुरानी प्रणाली को गैर कानूनी करार दे दिया और काफी अर्से पहले के दिया तो आपके यहां तब से अभी तक कमेटी बैठी हुई ही है ? फिर इसके माफिक चेन्ज करने के लिये ऐसी कमेटी की जरूरत भी थी क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां। इसलिये कि कक्षा के स्तर के अधार पर किताबों का लिखा जाना उचित था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब सरकार की मंशा मैट्रिक प्रणाली ही आगे चलाने की है, तो फिर बच्चों के दिमाग इन रुपये आने पाई में क्यों खराब किये जा रहे है ? आज ही क्यों नहीं बन्द किया जा सकता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैंने उत्तर में कहा है कि जिन कक्षाओं में इसप्रणाली में का उपयोग किया जाना चाहिये उनके साथ साथ ही उनकी किताबों में नई प्रणाली को भी जोड़ दिया गया है। इसलिये पुराने के साथ नये का ज्ञान भी बराबर सभी कक्षाओं में दिया जाता रहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक तरफ भारत सरकार ने मन-सेर-छटांक की प्रणाली कानूनन बन्द कर दी है, दूसरी तरफ नई प्रणाली लागू हो गई है, तो आज तक दोनों प्रणालियों को साथ साथ पढाने से बच्चों के दिमाग पर एक्स्ट्रा जोर दिया जाना नहीं है और क्या यह सरकार की नीति के भी विरुद्ध नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया, यह काम बोर्ड के सुपुर्द किया गया है बोर्ड ने अपनी सिफारशें यूनिवर्सिटी के पास भेजी हैं। इस बीच तुलनात्मक दृष्टि से नई व पुरानी प्रणालियों का अध्ययन हो तो बच्चों की बुद्धि के और ज्ञान के विकसित होने की ज़्यादा सम्भावना है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह ज्ञान आप नई व पुरानी प्रणालियों का अलग अलग पुस्तकों में देते हैं या एक ही पुस्तक में दोनों देते हैं। जो अलग अलग पुस्तकें चालू कर रक्खी हैं क्या आप उनको बन्द नहीं कर सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तुलनात्मक ज्ञान की बात तो अपनी तरफ से कही। मेरा निवेदन का मतलब यह है कि अलग अलग पुस्तकों में नई प्रणाली को छोटे रूप में उनके

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
ज्ञान के हेतु पुस्तकों में बढा दी गई है। नई प्रणाली पर भी शिक्षक शिक्षा देता हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संचालक ने इस प्रकार की पुस्तकों पर ऐतराज भी किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रकार की जिनमें पुरानी और नई प्रणाली साथ है ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संचालक स्वयं टैक्स्ट बुक्स बोर्ड का चेयरमैन है, इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसने आदेश दिये हैं इस तरह के कि पुरानी अंकों की पढाई बन्द कर दी जावे अभी छ दिन पहले ही दिये हैं ऐसे आदेश ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश तो यह हैं कि नई प्रणाली को साथ जोड़ दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : दोनों प्रणालियों का उसमें उल्लेख है यह आपकी सुविधानुसार है लड़कों की सुविधा के अनुसार नहीं है। इसको इसलिये बन्द करने का आदेश शिक्षा विभाग ने दे दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसे आदेश की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार के कानून के द्वारा नाप तौल की प्रणाली में परिवर्तन किया है। तो अगर विद्यार्थियों को नई प्रणाली में नहीं पढाया जावेगा और पुरानी पढाई जावेगी, तो पुरानी का महत्व तो नहीं रहेगा, वह काम नहीं आवेगी उनके। इसलिये जो विभिन्न विचार सदस्यों ने यहां रक्खे हैं आप पुनः इस पर विचार करके और बोर्ड के पदाधिकारियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था करावें कि जो सबके लिये सन्तोषजनक हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें हमने एक कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट देने में देरी की। बोर्ड ने भी देरी की थी सिलेबस बनाने की। वहां देरी हो गई। तो अब जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आने पर प्रकाशित कर दी जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, ये दो दो प्रणालियां साथ साथ चलाने में काफी कठिनाईयां होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके चुनाव क्षेत्र में भी दो दो काम साथ हुए हैं और दो प्रणालियां अपनाई गई हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां तो कई प्रणालियां इस्तेमाल करते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : प्राथमिक और माध्यमिक शालओं में दोनों प्रणालियों से बच्चों को काफी कनफ्यूजन होता है। नवीन प्रणाली जब चलानी ही है तो फिर पुरानो को को पढाने से कोई मतलब नहीं रहता ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मवेशियों पर जुर्माने की दरें

४१६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा लगाई गई डिमार्केशन लाइन के अन्दर मवेशी घुस जाने पर जो जुर्माना किया जाता है उसकी दर राज्य में अलग अलग हैं और यहां तक कि एक ही जिले के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हैं ?

(२) यदि हां, तो क्यों तथा इसे एक रूपता क्यों नहीं दी जाती ?

उपमन्त्री, वन : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) मुआवजा की रकम अपराध की गम्भीरता एवं परिस्थितियों व प्रचलित चराई की दरों, जो भिन्न भिन्न हैं, के आधार पर निश्चित की जाती है, अतः मुआवजे की दरों में एकरूपता नहीं लाई जा सकती।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह एकरूपता कबतक कर देंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उत्तर दे चुका हूं। इसमें अलग अलग चराई की दरें हैं। जो जब तक इनका एकीकरण नहीं हो जाता तब तक यह कहना कठिन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सीकर में ठिकाने की दरें लागू हैं, इसके अलावा रियासतों के समय से ये अलग अलग दरें चली आ रही हैं। इनमें एकीकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह।

झाला टाला बान्ध का सर्वे अलवर

४२०. श्री शंकरलाल (सादड़ी) [श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) द्वारा पूछा गया]: क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) पंचायत समिति गोविन्दगढ (अलवर) में झाला टाला बान्ध की सर्वे किस तारीख को की गई ? अब इसके कागजात किसके पास हैं ? और किस तारीख से हैं ?

(१) क्या यह सही है कि उपरोक्त बान्ध का कार्य ५० एकड़ भूमि से अधिक एवं पच्चीस हजार रुपये से ऊंचे का कार्य है ? यदि हां, तो उसको अब तक सिंचाई विभाग के अधीन क्यों नहीं दिया गया ?

(३) अब कब तक इस कार्य को सिंचाई विभाग के अधीन कर दिया जावेगा ? और कबतक इसका कार्य चालू किया जावेगा ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) फरवरी सन् १९६२ में। सम्बन्धित कागज अब दिनांक ११।४। १९६३ से पंचायत समिति के पास हैं।

(२) अनुमानतः यह कार्य २३,०००) रुपये के एस्टीमेट का है व लगभग १४०

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। यह बन्द बिचगांवा व हरसाना बान्धों के कैचमेन्ट एरिया में आता है अतः यह स्कीम रोक दी गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४२१

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सेन्टर।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों का स्टाफ

४२२. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों में बस होस्टेस कम कन्डक्टर्स का वेतन २५०) ७५० है और साड़ी अलाउन्स ४००) साल है और उन्हें देहली में दस रुपया रोज दिया जाता है जब कि वे वहीं की रहने वाली हैं ?

(२) क्या यह सही है कि रोडवेज को चैक करने वाला ए. टी. आई. १००) कुल तनख्वाह पाता है और ३०) रुपये साल वर्दी अलाउन्स मिलता है जब कि एक पी कैप ही ३०) रुपये की आती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इन्हें टी. ए. व डी. ए. नहीं मिलता हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि बस साधारण कन्डक्टर्स गाड़ी कहीं नहीं ले जा सकते जब कि होस्टेस एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों को अपने घर ले जाती है और ड्राइवर अगर कहना नहीं माने तो उसकी शिकायत होती है ? यदि हां तो क्यों ?

यातायात-मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं।

(२) भरती के समय ए. टी. आई. को १०५ रुपये मिलते हैं। पहले सरकार ने तीस रुपया साल वर्दी अलाउन्स देने की व्यवस्था की थी, परन्तु मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा २४ के अनुसार अब वर्दी दिये जाने की स्वीकृति हो गई है। टी.ए.,डी.ए. का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मार्गों पर गाड़ियों का चैकिंग करना उनकी ड्यूटी है।

(३) जी नहीं, बस कन्डक्टर तथा होस्टेस कोई भी गाड़ी अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : एयर कन्डीशन्ड की बस होस्टेस को क्य तनख्हा देते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय:इसकी तनख्वाह की जानकारी मेरे पास नहीं है। ५) अलाउन्स देने की बात तय हुई थी, अब ड्रेस देने की व्यवस्था है। यह जानकारी मेरे पास है।

श्री अब्दुलजब्बार : कन्डक्टरों को क्या देते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ए. टी. आई. की जानकारी है। कन्डक्टरों की जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। हां, होस्टेस कम

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कन्डक्टर्स एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों का वेतन है २७५, २०, ३३५, २५, ५६०, ३०, ६५०, तथा ५००) सालाना साड़ी अलाउन्स है। अब साड़ियों के अलाउन्स के बजाय साड़ी दी जावेगी।

श्री अब्दुलजब्बार : यह मेरा कम्पेरिजन में प्रश्न है कि क्या सरकार यह बताने को तैयार है कि बस कन्डक्टर की क्या तनख्वाह है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, साधारण बस के बस कन्डक्टर और एयर कन्डीशन्ड बस कन्डक्टर कम होस्टेस, जो एक तरह का काम करते हैं, उनमें वेतन में कितना बड़ा अन्तर है, यह है मैं कम्पेअर करके बताना चाहता हूं। एक को १०५ रुपया मिलता है और २) रोज का अलाउन्स देते हैं जब कि उस होस्टेस को इतना ज्यादा। यही कारण है कि सरकार के प्रति लोगों में बहुत असन्तोष है। एक ही काम करने वाले के वेतन में इतना अन्तर हैं। टिकट काटने का काम दोनों करते हैं पर एक को आप कम देते हैं, १०५) ही देते है और दूसरे को २७५) देते है।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ४२३

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं और प्रोविडेन्ट फन्ड की धनराशि

४२५. **श्री चन्द्रसिंहबर्फा** (बिलाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेन्ट फन्ड का प्रावधान रखती हैं ?

(२) प्रोविडेन्ट फन्ड की धनराशि कहां और किसकी सुरक्षा में रहती है ?

(३) क्या इस प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सरकार ऐसी राशि को बैंक में जमा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ऐसी रकम को सहकारी बैंकों में जमा कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेन्ट फन्ड का प्रावधान रखती हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) प्रोविडेन्टफन्ड की धनराशि अधिकतर शिड्यूल्ड बैंक पोस्ट आफिस सेविंग्स एकाउन्ट्स तथा सहकारी बैंकों में रक्खी जाती है। जो शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार हिसाब नहीं रखती हैं उनको इस आज्ञा का पालन कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी हां। संचालक कालेज एज्यूकेशन ने इस प्रकार की राशि को सहकारी बैंकों में जमा कराने के आदेश पूर्व ही जारी कर दिये हैं और शिक्षा संचालक प्राईमरी व सेकेन्डरी भी इस प्रकार की आज्ञा जारी करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या यह रकम सेन्ट्रल बैंक में जमा रखते हैं या उनका उपयोग खुद करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आदेश है कि शिड्यूल्ड बैंक या स्टेट बैंकों में ही रकम जमा रखें।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : आदेश तो है लेकिन उनका पालन भी होता है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत सी संस्थाओं में इसका पालन होता है और जिनमें इसका पालन नहीं हो रहा है उनको आगाह किया जा रहा है कि वे अपने पैसे और धनराशि अपने पास नहीं रखें और बैंकों में रखें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

वन कूपों की नीलामी तथा कटाई के पश्चात् मवेशी दाखिल होने की मयाद

४२६. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) वन कूप नीलाम करने व उसकी कटाई के पश्चात् उसमें मवेशी दाखिला होने देने की वर्तमान मियाद कितनी निर्धारित है और इस मियाद के निर्धारित करने के पूर्व कितनी मियाद थी ?

(२) क्या जंगलात से घिरी हुई आबादी के पशु पालन की समस्या की दृष्टि से सरकार इस अवधि को कम करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :

(१) वन कूप की कटाई के पश्चात् १० वर्ष तक मवेशी उस कूप में चराई के लिये दाखिल नहीं हो सकती और यही मियाद हमेशा से चालू है।

(२) जी नहीं।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : पहले पांच वर्षों की मयाद थी और बाद में तीन साल हुई और अब १० साल। इससे जनता काफी परेशान होती है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगर जंगल की रक्षा करनी है तो हमें इन्हीं नियमों को जारी रखना होगा।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : केवल किसानों को परेशानी इस की वजह से ज्यादा है। इसके लिये सरकार कुछ सोच रही है क्या ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि इस प्रकार का कोई कानून या ऑर्डिनेन्स जारी हुआ है कि २० मवेशियों के लिये भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

जयपुर-बीकानेर रूट पर बस स्टोपेज बढ़ाने की मांग।

४२७. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर-बीकानेर रूट पर चलने वाली बस सर्विस के लिए सिर्फ दस स्टोपेज स्वीकृत हैं ?

(२) क्या यह सही है कि स्टोपेज बढ़ाने के लिए एक लम्बे अर्से से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक नहीं बढ़ाए जाने का क्या कारण है और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(१) जी हां। यह सही है।

(२) हां यह मामला जयपुर आर. टी. ए० के विचाराधीन था और ऑथोरीटी की दिनांक २० से २२ जूलाई १९६४ की मीटिंग में इस मार्ग पर दस से ज्यादा स्टोपेज नहीं बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है।

श्री फूलचन्द जैन : इससे ज्यादा स्टोपेज नहीं बढ़ाने का क्या कारण है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो आर. टी. ए. ने निश्चय किया है।

श्री फूलचंद जैन : प्रश्न यह है कि रास्ते में पांच पांच हजार की आबादी के कई विलेजेज आते हैं और उनकी यह मांग है कि जयपुर से बीकानेर रूट पर जब बसें चलती हैं तो हमें भी ट्रेवल करने के लिये सुविधा मिलनी चाहिये। हमने बराबर प्रार्थना-पत्र दिये और हमें यह आश्वासन दिया गया कि हम इस बात पर विचार करेंगे। आज आपने यह सुना दिया कि आर. टी. ए. ने निश्चय लिया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, ये गाड़ियां बड़ी द्रुत गति से चलने वाली हैं इसके अलावा छोटी छोटी गाड़ियां बीच में बहुत चलती हैं।

श्री फूलचन्द जैन : बीकानेर से जयपुर तक कोई गाड़ियां नहीं हैं जो डाइरेक्ट चलती हों।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जयपुर से सीकर, सीकर से सालासर, सालासर से सुजानगढ़ और सुजानगढ़ से नोखा और नोखा से बीकानेर चलती हैं।

Page No. 16

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्ट कोई गाडी नहीं जाती है। बीच में स्टोपेज होने चाहिये ताकि लोगों को सुविधा रहे।

श्री फूलचंद जैन : क्या आप यह समझते हैं कि बीकानेर, जयपुर और सीकर आने वालों के लिये सहुलियतें हैं और क्या वे लोग डाइरेक्ट इनके लिये बैठ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जो सहुलियतें हैं उनका माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री ने इस रूट पर जाकर देखा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १० स्टोपेज हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये सब डाइरेक्ट रूट नहीं है, रींगस को छोड़ कर। सीकर से लेकर बीकानेर जावेगा तो वह डाइरेट नहीं जा सकता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जितने भी इम्पोर्टेन्ट टाउन्स हैं उन सब पर ठहरती हैं। चूरू, नोखा मंडी, देशनोक, सुजानगढ़, बीदासर आदि १० रूट पर ठहरती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बसें और चलती हैं जैसा मैंने बताया वे अलग ठहरती हैं।

श्री भैरोंसिंह : सुजानगढ़ और बीकानेर के बीच में कितने टाउन्स आते हैं ?

श्री फूलचंद जैन: वहां की जनता लगातार मांग कर रही है कि हमें सुविधा नहीं मिलती है। मगर आपके पांच वर्ष से उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप यह कहते हैं कि यह आर. टी. ए. ने निश्चय किया है।

श्री अध्यक्ष : आर, टी. ए. के निर्णय पर अपील की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की यह पॉलिसी है कि दूसरे बस वालों से ऑलटरनेट रूट का एग्रीमेंट किया हुआ है। उसमें गवर्नमेंट ने यह एग्रीमेंट किया है कि सरकार बीच की सवारियों को नहीं उठाएगी। और इसी वजह से सरकार ने बस स्टोपेज कम किये हैं और यह रखा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पांच हजार की आबादी के म्युनिसिपल टाउन्स में बस ठहरती हैं।

श्री फूलचंद जैन : नहीं ठहरती है। आज तक नहीं ठहरती है। तभी तो यह बात है आप इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक गाड़ी, सरकार पेसेन्जर ट्रेन की तरह से ऐसी चलाए जो सभी छोटे छोटे स्थानों पर स्टोपेज करे और वहां के लोगों को ले जाए। जयपुर से डाइरेक्ट बीकानेर तक और दूसरी उधर से जयपुर को आए। ऐसी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(६.०० म० पू०)

ब्यावर-मेड़ता सिटी बस सर्विस सम्बन्धी आलनियावास की जनता की शिकायत

४२८. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ब्यावर से मेड़ता सिटी जाने वाली बसें आलनियावास ग्राम में रूक कर सवारियां लेती हैं या नहीं ?

(२) अगर नहीं लेती हैं तो क्यों नहीं जब कि वहां की आबादी ३५०० से ऊपर है व वहां की जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(३) क्या आलनियावास की जनता की ओर से इस प्रकार की शिकायत की गई है ? अगर हां, तो इस ओर अब तक क्या कदम उठाया गया ?

यातायात, मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी नहीं।

(२) आर० टी० ए० ने विस्तृत विचार करने के बाद दिसम्बर ६-७ सन् १९६३ को यह निश्चय किया कि बस पादूबड़ी, रीयां, गोविन्दगढ़ और पीसांगन पर १० मिनिट ठहरेगी और नागेलाव, गोएा, पुरानी ब्यावर पर ५ मिनिट। यह रूट डिस्प्लेस्ड ओपरेटरों को दी गई है और इस रूट पर आलनियावास गांव ठहरने का आर० टी० ए० ने निर्णय नहीं लिया।

(३) सरपंच ग्राम पंचायत आलनियावास की ओर से एक अर्जी आई है। इन्सपेक्टर ट्रांसपोर्ट द्वारा जांच कराई जा रही है, रिपोर्ट आने पर आर० टी० ए० के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया : बस कहां पर ठहरे इसका क्या क्राइटेरिया है ? पादूबड़ी और रीयां से आलनियावास बड़ा है कि छोटा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप आलनियावास में इन्ट्रेस्टेड हैं तो उसकी रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद में फैसला किया जायेगा ?

श्रीमती गौरी पूनिया : जनता की मांग है। जनता ने प्रार्थना पत्र दिया है तो इन्सपेक्टर के एन्क्वायरी करने की आवश्यकता है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिकायत है तभी तो यह पूछा गया है।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : आपने पहले प्रश्न का जवाब दिया कि जी नहीं और सरपंच की शिकायत आई है तो जांच किस बात की होनी चाहिए ? आपने मान लिया कि मांग उनकी आई है तो जांच किस बात की की जा रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच इस बात की हो रही है कि वह अर्जी आई है तो वह वाजिब है कि नहीं ?

Page No. 18

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बस स्टोपेज के लिए निर्धारित नीति क्या है ? कहां पर स्टापेज दिया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सवारियां जरूरी होती हैं, जहां की मांग होती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की यह मन्शा है कि जहां पर सवारियां ज्यादा हों वहां पर बस स्टोपेज दिया जाय तो सवारियों के आधार पर मांग होती है तो क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो अधिकारी इस काम के लिए नियुक्त हैं वे नियमों के अनुसार फैसला करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : सवारियों की संख्या के अलावा और कोई आधार है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रास्ते का भी आधार हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : रास्ते का भी आधार हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : रास्ते के सिवाय कोई तीसरा आधार नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं नियम रटकर नहीं आया हूं यहां ।

उदयपुर के फतेह मेमोरियल की भूमि पर पेट्रोल पम्प

४२६. **श्री जोधसिंह चौहान**(गिरवा) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) ।

क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अभी उदयपुर नगर में फतेह मेमोरियल (सराय) की भूमि किसी व्यक्ति को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए दी गई है ? यदि हां, तो किसको, कितने में और कितने साल के लिए ?

(२) क्या देवस्थान विभाग को यह अधिकार है कि कोई देवस्थान की भूमि बिना नीलाम के रेन्ट पर दे ?

(३) क्या इसी भूमि को लेने के लिए पहले किसी ने प्रार्थना-पत्र दिये थे लेकिन उन को नहीं दी गई ?

(४) क्या विभाग ने वहां पर पहले कोई नोटिस चसपा किया था कि देवस्थान की यह भूमि पेट्रोल पम्प या और किसी के लिए किराये देनी है ? अगर नहीं किया, तो क्यों ?

Page No. 19

उप-मन्त्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां श्री रणजीतलाल अग्रवाल को तारीख १८-१-६४ को १३६ बाई ५० वर्ग फुट जमीन १० साल के लिए १००) रुपये माहवार पर दी गई।

(२) जी हां, इस भूमि के नीलाम की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि श्री रणजीतलाल अग्रवाल इस भूमि पर पहले से ही काबिज था और पेट्रोल पम्प पहले से ही लगा हुआ था। लेकिन म्युनिसिपल कौंसिल उदयपुर ने नाजायज तौर से उक्त भूमि को लीज पर दे रखी थी। लीज की समाप्ति पर श्री रणजीत लाल का प्रार्थनापत्र पेश होने पर श्री रणजीत लाल का कब्जा होने पर और भूमि पर विभाग का कब्जा करने की दृष्टि से जमीन बिना नीलाम के सर्वप्रथम तारीख १-११-६२ को ११ माह के लिये ६०) रु० माहवार पर किराये दे दी जो किराया १८-१-६४ को १००) रु० माहवार कर दिया गया।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न २ के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : यह उत्तर मेरे ख्याल से सही नहीं है गलत है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि इसके अलावा भी आपने कालटैक्स कम्पनी को इसी जगह पेट्रोल पम्प लगाने के लिए जमीन दे रखी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है। अभी का तो मैंने जवाब दिया है कि नहीं दी गई है। मैंने सन ६४ का जवाब दिया है। उसके पहले पहले और लोगों को दी हो। यह हो सकता है कि औरों को भी दी हो। रीसेन्ट हैपनिंग के बारे में पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसमें साफ पूछा गया है कि फतेह मेमोरियल धर्मशाला है उसके पीछे जो जमीन है क्या उस जमीन को किसी को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए ६४ और ६३ के बीच में वहां के कलेक्टर ने या सरकार ने एलॉट की है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल नहीं है महाशय जी। प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि अभी उदयपुर नगर में फतेह मेमोरियल (सराय) की भूमि किसी व्यक्ति को पैट्रोल पम्प लगाने के लिए दी गई है? यदि हां, तो किसको, कितने में और कितने साल के लिये? अभी उदयपुर नगर में तो अभी का मतलब १० साल के उपरान्त नहीं ले सकते हैं। अभी का पूछा है तो इसका जवाब दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब सरकार से फतेह मेमोरियल की जमीन के बारे में पूछ रहे हैं तो १० साल का नहीं पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ६३ और ६४ के बीच में फतेह मेमोरियल धर्मशाला की जमीन है जो कि देवस्थान के अन्दर है जिन की विल महाराणा साहब ने लिख कर दी है कि जमीन वहां की किसानों के लिए और धर्मशाला के काम में आयेगी। उस जमीन के बारे में यह प्रश्न है कि वह जमीन किसी को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए दी गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि १८-१-६४ को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए रणजीत लाल को दी है और चूंकि अभी का सवाल पूछा है इसलिये ६४ का जवाब दिया है। ६३ का पूछते तो उसका जवाब दे देता। ६२ के लिये पूछते तो उसका जवाब दे देता, ६० के लिये पूछते तो उसका जवाब दे देता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक का ही नाम क्यों बता दिया है। और लोगों को जमीन दी है तो उनके नाम क्यों नहीं बताये?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष : आप उसी चीज को दोहराये जा रहे हैं। मन्त्री महोदय ने कह दिया कि आप निश्चित तथ्य देते तो जवाब देते। इसलिये सन् ६४ में जो हुआ है उसका उत्तर दिया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इतना जरूर कहना पड़ेगा कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर इवेड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इवेड करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : इसको आप पढ़ें 'अभी' नहीं लिखा है। कोई आपकी तरफ से जोड़ा गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जो मिला है उसमें है।

श्री अध्यक्ष : इसमें उत्तेजित होने की बात क्या है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि आप पूछिये प्रश्न तो उसका उत्तर दे देंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ऐसा नहीं है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न को नहीं समझ सके हैं, लेकिन उत्तर देने में इवेज़न किया है जो कि संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : छिपाने का प्रश्न नहीं हैं अगर आप इतने उत्सुक थे तो आपको चाहिए था कि आप तरीके से सीधे प्रश्न पूछते। मैं माननीय सदस्यों से कई दफा निवेदन कर चुका हूं कि जो पूछना चाहते हैं वह सीधा पूछना चाहिए। उसका तालमेल करके पूछना चाहिए। मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया या जो जानकारी चाहिए उसके इकट्ठा करने में सुविधा हो तो निश्चित रूप से क्यों नहीं पूछते। इसमें घबराने की क्या बात है। आपको पूछना चाहिए था कि अमुक व्यक्ति को क्यों दिया। वहां सप्लीमेंट्री के जरिये से प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न पूछा जाय वह सीधा पूछा जाय। वह सीधा पूछा जाय। एक प्रश्न पूछते हैं और सप्लीमेन्ट्री के द्वारा उसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए पूछना चाहते हैं जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए इवेजन का प्रश्न नहीं हैं। फिर भी माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूछ लें।

श्री विजयसिंह झाला : क्या कालटेक्स कम्पनी को कोई जमीन दी गई है जो कि दीन मोहम्मद के पास है?

श्री राधाकृष्ण गोयल : नगरपालिका के सम्बन्ध में मंत्री महोदय बतला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उनको यदि निश्चित घटना के बारे में सूचना चाहिए थी तो सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि उसके लिए पूछ लेते।

श्री विजयसिंह झाला : दीन मोहम्मद को जो जमीन दी गई है जो कि कालटेक्स के नाम से दी गई थी वह क्यों दी गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६४ में दीन मोहम्मद को जमीन नहीं दी गई है। आप दूसरे सन् का पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री विजसिंह झाला : उस पर दीन मोहम्मद का कब्जा है........

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस भूमि पर, जो दी है, उस पर दीन मोहम्मद और बसन्त कुमार का कब्जा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस जमीन पर रणजीतलाल का कब्जा है।

श्री भैरोंसिंह : इस जमीन पर नहीं दिया?

एक माननीय सदस्य : फतेह मेमोरियल सराय के अहाते में किराये पर दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फतेह मेमोरियल का अहाता बहुत बड़ा है उसमें कई किराये दार हैं। अगर किसी खास किरायेदार के लिए पूछना चाहते हैं तो आप देदें कि किस साल के किरायेदार के लिए पूछना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप लेक्चर मत दीजिये। आप यह बताइये....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां पर सैकड़ों किराये दार हैं उन सब के लिए बताना सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसलिए सम्भव नहीं है कि दोनों ही पर्सोनलटीज....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) क्या वह जमीन देवस्थान की थी या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस जमीन पर रणजीतलाल का कब्जा है उसको देवस्थान विभाग अपनी मानता है और यह देवस्थान की है और देवस्थान विभाग का कई अर्से से झगड़ा चल रहा था। इनको किराये पर देवस्थान विभाग ने नहीं दिया था इसलिए फिर इनको बाला बाला उसको किराये पर दिया है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह जमीन निर्विवाद रूप से देवस्थान की थी या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी ही हमारी मान्यता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि वह देवस्थान की थी तो रणजीतलाल का कब्जा कैसे हो गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही मैंने जवाब में बताया है।

श्री जोधसिंह चौहान : रणजीतलाल को जो जमीन दी गई है वह नई जमीन है और बसन्तकुमार को जो दी गई है। उसका केवल रिन्युअल किया गया है। केवल बसन्त कुमार को दी गई है इसलिये यह सवाल ऐसा आया है बसन्तकुमार के काम से आया है। इसलिये यह जमीन भरतकुमार के नाम से दी है लेकिन मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि अग्रवाल को जमीन देने का प्रश्न नहीं है। पेट्रोल पंप के लिये जमीन दी है। इसलिये उत्तर सही नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भरतकुमार को नहीं दी।

श्री विजयसिंह झाला : पेट्रोल कम्पनी को (कालटैक्स) को दिया गया था…

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कालटेक्स कम्पनी को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं

श्री विजयसिंह झाला : साफ क्यों नहीं कहते…

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फतेह-मेमोरियल के पीछे का गेट है जिस गेट से किसान आते थे और गाड़ियां खड़ी करते थे वह गेट आपने बन्द कर दिया है और उस गेट के बाहर ५०० वर्ग गज की जमीन ६३—६४ के बीच में दी गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी को नहीं दी गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कह रहे हैं कि सन् ६४ के बारे में जवाब दिया है। सन् ६४ में कालटेक्स कम्पनी को दिया और उसने दीनाभाई और गुलाम अब्बास के नाम से जमीन दे दी (शेम शेम)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे रेकार्ड में किसी दीनाभाई या किसी गुलाम अब्बास के नाम पर नहीं दी गई। पेट्रोल पंप के लिये कालटेक्स कम्पनी को दी गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कालटेक्स कम्पनी ने इन दोनों के नाम कर दी है। जबकि ५००) महीना देने के लिये दूसरे लोग तैयार हैं। उनको इसलिये दी कि वह मुख्यमंत्री जी का साला है इसलिये उसको १००) में दे दी जबकि लोग ५००) देते हैं (शेम शेम)।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह १००) में दी हुई है या कितने में दी हुई है आप सवाल पूछ लीजिये मैं जवाब दे दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप तहकीक जवाब क्यों नहीं देते। अग्रवाल को जमीन दी उसका जवाब दे दिया लेकिन असली जवाब देना चाहिये था वह नहीं दिया यही तो लांछन आपके ऊपर है।

श्री विजयसिंह झाला : मुख्यमन्त्री जी का नाम लेते हैं तो आप दबाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसी तरह से तो डुबाओगे राजस्थान को।

हरिजन कालोनी

४३०. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : Will the Minister for Social Welfare please repplv :

1. How much amount has been advanced by the Government for the construction of HARIJAN COLONIES in various districts and Blocks respectively ?

2. Is it a fact that no amount has been sanctioned to the Harijans for the construction of houses in Panchayat Samiti Sangod and that very little amount has been spent in Samiti Chechat which is insufficient to be used for putting up a colony there ?

3. Why distinction has been maintained between various areas in granting subsidies for Harijan Colonies and how will Government compensate for it in the future ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियां (हरिजन सम्मिलित) की कोलोनियां हेतु जो राशि प्रदान की गई है उसको सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) पंचायत समिति सांगोद को अनुसूचित जाति के लिये मकान बनाने हेतु सन् १९६१-६२ में ७५० रुपये व सन् १९६४-६५ में ३००० रुपये स्वीकृत किये गये हैं । इसी प्रकार पंचायत समिति चेचट में अनुसूचित जाति के परिवार को मकान सहायता हेतु ३७५० रुपये दिये गये ।

(३) पंचायत समितियों के निर्माण के पश्चात वित्तीय वर्ष सन् १९६२-६३ तक गृह निर्माण योजनाओं की धनराशि पंचायत समितियों में विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती थी । सन् १९६३-६४ से प्रति वर्ष गृह निर्माण योजना के प्रावधान जो जन संख्या के आधार पर जिलेवार बांट कर जिला परिषदों के प्रस्तावनानुसार पंचायत समितिवार दिया गया है । अतएव इस विभाग द्वारा भेदभाव करते जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि किसी पंचायत समिति को कम रकम मिली है तो इसकी क्षति पूर्ति जिला परिषदों के प्रस्तावों पर ही की जा सकती है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : सूची देर से आई है इसलिये मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता लेकिन क्या मन्त्री जी समझते हैं कि ४॥ हजार रुपये १० वर्षों में इतना पैसा दिया है तो क्या यह पर्याप्त है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितना बजट है उसी के अनुसार ही दिया गया है । पर्याप्त तो यह किसी भी पंचायत समिति के लिये नहीं हो सकता ।

श्री जुझारसिंह : पहली रकम आपने सन् ५४ में दी बाकी ६४ में दी तो क्या ऐसा नियम नहीं है कि सालवार दिया जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नियम के अनुसार दिया गया। अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को पहले सूची नहीं दे सकी। सूची देने के बाद ये जो जानकारी चाहेंगे मैं दे दूंगी।

श्री जुझारसिंह : ७५०) रु० में कोई कॉलोनी नहीं बन सकती। ७५०) में तो मुश्किल से एक मकान बन पाता है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कॉलोनी का सवाल नहीं है, व्यक्तिगत मकानों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

एस. टी. सी. स्कूल करौली का परीक्षाफल

४३१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एस. टी. सी स्कूल करौली से सन् १६६२ में कितने विद्यार्थी परीक्षा के लिये बैठे थे ?

उपरोक्त विद्यार्थियों में से कितनों की हाजरी कम थी तथा क्या परीक्षा के पूर्व उनको उस बात की सूचना देकर परीक्षा में न बैठने का आदेश दिया गया था ?

(३) क्या यह सच है कि कुछ अध्यापकों का परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् जब वे प्रमाण-पत्र लेने के लिये गये तो उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा यह सूचना दी गई कि तुम्हारी हाजरी कम होने के कारण घोषित किया हुआ परीक्षाफल रद्द किया गया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा : (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको पोस्टपोन फरमाया जाय।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अगले सप्ताह के लिये पोस्टपोन करने के लिये, निवेदन किया है।

प्रश्न संख्या ४३२

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाढ़दार

जयपुर व झुंझुनू जिलों के वी. टी. सी. अध्यापकों के हायर सलेक्शन-ग्रेड के मामले

४३३. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर व झुंझुनू जिलों में कितने वी० टी० सी० अध्यापक हैं ?

(२) वी० टी० सी० अध्यापकों को हायर सलेक्सन-ग्रेड दी जाने का निर्णय राज्य सरकार ने कब लिया और क्या यह ग्रेड समस्त अध्यापकों को दे दी गई ?

(३) क्या कुछ अध्यापकों के इस प्रकार की ग्रेड प्राप्त करने के आवेदन-पत्र विभाग

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई।

(४) जयपुर जिले के ऐसे कितने उपरोक्त अध्यापक हैं जिनके केस अब तक विचाराधीन हैं और किन कारणों से निर्णीत नहीं किये जा सके हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस प्रश्न को भी आगे बढ़ाने का निवेदन है, इसके फेक्ट्स भी नहीं मिल पाये हैं, प्रश्न लम्बा चौड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर निर्णयात्मक दिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसका उत्तर भले ही आप न दें लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये जो बेचारे अध्यापक हैं उनका काम आप कर दें, उनको पैसे मिल जायेंगे तो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जायेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

चित्तौड़गढ़ रेंज में एकलिंगपुरा का जंगल

४३४. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ रेंज में एकलिंगपुरा का जंगल देवस्थान के अधीन था ? अगर हां, तो कब से और अब यह जंगल किस विभाग के अन्तर्गत व्यवस्थित है ?

(२) क्या इस प्रकार के जंगल अलग अलग व्यवस्था में विभाजित होने पर आम जंगलात के नियमों एवं कानून पर कोई असर नहीं पड़ता ? यदि पड़ता है, तो उनके एकीकरण के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

(३) क्या उपरोक्त जंगल का सरकार की ओर से डिमार्केशन हो चुका है ? अगर हां, तो यह जंगल कितना एकड़ है और अब तक इसकी कितनी आमदनी किस विभाग को मिली ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, भूतपूर्व उदयपुर राज्य के समय में एकलिंगपुरा का जंगल एकलिंगजी ट्रस्ट के अधीन था। इस समय तहसील गंगरार की निगरानी में है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, जंगल का क्षेत्रफल ११७२ बीघा है। आय के विषय में मामला जिलाधीश उदयपुर के यहां विचाराधीन है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : देवस्थान का जंगल अलग होने से किसानों को अड़चन आती है क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एकलिंगजी का प्रश्न है। कलेक्टर के यहां

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

उजरदारी कर रखी है, फैसला हो जायगा तब जंगलात विभाग विचार करेगा।

स्थगित प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०७

श्री मूलचन्द चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया।

ग्राम भैरूंदा में मिडल स्कूल की मांग

४०८. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला नागौर में जुलाई, १९६४ में कितने मिडल स्कूल खोले गये हैं।

(२) क्या यह सही है कि भैरूंदा ग्राम (रींया समिति) आज छः वर्ष से मिडल स्कूल की मांग कर रहा है ? यदि हां, तो वहां अब तक स्कूल न खोले जा सकने के क्या कारण हैं।

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) नागौर जिले में जुलाई, १९६४ से निम्नलिखित प्राईमरी स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया है।

लड़कियों के लिये :

(१) पांचवा (२) नोखा चन्द्रावता

लड़कियों के स्कूल

(१) कुचेरा (२) छोटी खाटू।

(२) प्राथमिक शाला भैरूंदा को उन्नत करने के बारे में पिछले वर्ष जिला परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस वर्ष भी प्रस्ताव प्राप्त हुये। क्योंकि इस शाला की ५ वीं कक्षा में केवल ५ ही विद्यार्थी हैं जब कि कम से कम १५ संख्या होनी चाहिये। अतः यह शाला माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं की जा सकती।

श्रीमती गौरी पूनिया : जब जिला परिषद् से बार बार प्रस्ताव किया जाता है तो क्या ५ ही बच्चे हैं इसलिये किया जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि बार बार प्रस्ताव नहीं भेजे यदि ५ ही लड़के हों तो ?

श्रीमती गौरी पूनिया : नहीं अध्यक्ष महोदय, वहां पर लड़के ज्यादा हैं लेकिन आंकड़े उस समय लिये गये होंगे जिस समय स्कूल नहीं खुलने के कारण लड़के दूसरी जगह चले गये हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अबकी विचार करेंगे यदि लड़के अधिक होंगे।

प्रश्न संख्या ४०६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सेन्टर ।

हाईस्कूल खानपुर के छात्रों की संख्या और अध्यापकों की कमी की पूर्ति

४२१. **श्री प्रभुलाल सेंटर** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हाई स्कूल खानपुर में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र हैं ?

(२) इस हाई स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ?

(३) हाई स्कूल कक्षाओं की छात्र संख्या के एवं पढ़ाये जाने वाले विषय के अनुपात से किस किस योग्यता के कितने कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और उसमें से किस किस विषय के लिये कितने अध्यापक इस समय मौजूद हैं बाकी अध्यापकों की पूर्ति कब हो जावेगी ?

उप:मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : हाई स्कूल खानपुर की सत्र

१९६३–६४ की कक्षावार छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

कक्षा	६	१५३
	७	६५
	८	६७
	९	२०२
	१०	११३
	योग	६३०

(२) इस स्कूल में हिन्दी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, इतिहास, ड्राइंग, ह्युमिनिटी ग्रुप में और फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विज्ञान ग्रुप में पढ़ाये जाते हैं।

(३) इसके बारे में जांच की जा रही है ।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? वहां पर अध्यापकों की काफी कमी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम सीधे ही डाइरेक्टर को लिख रहे हैं कि जो कमी है उसको पूरा किया जाय ।

Page No. 28

श्री प्रभुलाल सेन्टर : तो आप कमी को पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सीधे ही लिख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह !

श्री प्रभुलाल सेन्टर : क्या कमरे पर्याप्त हैं लड़कों के बैठने के लिए, श्रीमान् ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह !

श्री प्रभुलाल सेन्टर : यह बहुत जरूरी है। वह इमारत गिर जायेगी तब कोशिश होगी जो किसी हाई स्कूल के लिए हुई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुझार सिंह ।

चेचट में नया हाई स्कूल भवन

४२३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Education Minister please reply:—

1. How much amount has been spent towards the construction of the New High School Building at Chechat both by public and Government respectively ?

2. Since when the work on this building has been stopped and why ?

3. Does the Government have any scheme to complete and utilize buildings which have remained incomplete and half finished with no chance of completion without Government aid ?

4. What scheme the Government have to copmlete the New High School Building at Chechat or to utilize it in the future ?

उप-मन्त्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जनता द्वारा २३,६४३ रु० पंचायत समिति द्वारा १५,००० रु० तथा १९६१-६२ में सरकार द्वारा १०,००० रु० स्वीकृत हुए थे।

(२) करीब डेढ़ वर्ष से बन्द है।

(३) सम्पूर्ण भवनों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व वहां की जनता का है ।

(४) विभागीय शर्तों के व जनता के आश्वासन के अनुसार भवन जनता को पूर्ण कराना चाहिए।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता के सहयोग के बाद भी ५० हजार, ६० हजार में बिल्डिंग पूरी नहीं हो तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है उसको पूरा कराया जाय। हजारों और सैकड़ों इमारतें अधूरी पड़ी हुई हैं लेकिन सरकार जनता के दायित्व पर छोड़ कर उन्हें पूरा नहीं करवा रही है। इस वजह से मेहनत जनता ने की है वह बेकार जाती है। मैं समझता हूं, इस ओर सरकार ध्यान देगी। अब वहां जनता के सहयोग की सम्भावना नहीं रही है। इसलिये सरकार इसको पूरा करने

(श्री जुझारसिंह)

की कोशिश करें और इसे बिगाड़ा नहीं जाय जिसमें ६० हजार रुपया लगाया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नागरिक सभा और भवन निमार्त्री सभा का दिनांक १४-५-६० को निश्चय हुआ। उन्होंने निश्चय किया था कि हम सारा भवन सम्पूर्ण करके सरकार को दे देंगे। इसलिए वह अपने आश्वासन और इकरारनामे के अनुसार इमारत को पूरा नहीं कर पाये। इधर विभाग इस स्थिति में नहीं है कि वह इसको पूरा कर सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह क्या सही है कि इस प्रकार की इमारतों के लिए तो सरकार इकरारनामे का नाम लेती है लेकिन जो प्राइवेट संस्थायें चलती हैं उनके भवन निर्माण के लिए ५० परसेंट खर्च के लिए धनराशि अच्छी तरह से बांटती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही है कि अनुदान सरकार देती है। इसको भी दस हजार रुपया दिया है।

श्री जुझारसिंह : इसमें ६० हजार रुपया लगा दिया लेकिन फिर भी इसे पूरा नहीं करा सके। अब क्या सरकार इस मकान को इसी तरह रखना चाहती है या इसको पूरा करने की कोशिश करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा जनता की तरफ से लिखा हुआ नहीं आया है।

श्री जुझारसिंह : लिख कर दे दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्योंकि नागरिक सभा और भवन निर्मात्री सभा के निर्णय के अनुसार उन्होंने लिख कर दिया है इकरारनामा। उनकी तरफ से आने पर सरकार अपनी वित्तीय स्थिति देखते हुए निर्णय ले सकती है इसके पक्ष में या विपरीत।

श्री जुझारसिंह : उनकी तरफ से लिख कर दिया हुआ है। वह आगे पैसा देने के लिये तैयार नहीं है। जो वहां की कमेटी है उसने सरकार को लिख कर दे दिया है इसको पूरा करने में असमर्थ हैं। मैंने आपको पत्र लिख कर दिया है। इसलिए यह स्थिति नहीं है आपके पासजानकारी नहीं आई है। अब आपकी क्या नीति होगी अगर जनता इसको पूरा नहीं करवा सकेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस भवन को सम्पूर्ण करने का इकरारनामा सभाओं का है इसलिए उनकी तरफ से आने पर कि हमारी दिक्कत है तो अपनी वित्तीय स्थिति और उनकी स्थिति देखते हुए बातचीत करने के बाद सम्बन्धित मिनिस्टर साहब से बात करेंगे।

श्री जुझारसिंह : उनकी तरफ से लिख कर आ गया है तो उनका अब दायित्व नहीं है।

प्रश्न संख्या ४२४

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३२

श्री नत्थीसिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०१

श्री मुरलीधर व्यास ।

स्थगित प्रश्न

(१२-८-६४)

गबन के मामले और ऑडिट एतराजों पर निर्णय--नापासर

२०१. श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : [श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नापासर में नगर पालिका के समय व अब पंचायत के समय गबन पाए गए ? अगर हां तो ये गबन किसने किए ?

(२) क्या इतने समय तक गबन करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(३) क्या गबन का मामला पुलिस को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

(४) क्या सन् १९५३ से १९६० तक व बाद में ऑडिट एतराजों पर इस पंचायत ने कोई निर्णय लिया है ?

उप--मंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना):--(१) जी हां । ऑडिट रिपोर्ट में गबन श्री महादेव आसोपा सचिव द्वारा किया जाना बताया गया ।

(२) जी नहीं । कार्यवाही हुई ।

(३) जी हां । पुलिस ने मामला न्यायालय में चालान कर दिया है ।

(४) अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

श्री **अध्यक्ष**--प्रश्न समाप्त हुए !

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील दौसा में नये मिडल स्कूल

४०७. श्री **मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) तहसील दौसा में कौन कौनसे कस्बों में मिडल स्कूल हैं ?

(ख) कौन कौन से गांवों में नये मिडल स्कूलों का कार्य शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(१) तहसील दौसा में निम्न लिखित कस्बों में माध्यमिक शालायें है ।

(१) कुण्डल ।

(२) पापरदा ।

(३) लावा ।

(४) जासोता ।

(५) चन्द्राना ।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(६) नागल राजस्थान।

(७) कन्या माध्यमिक शाला दौसा।

(२) इस वर्ष दौसा तहसील में कोई भी शाला माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं की गई है।

भिरानी पंचायत के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध चार्ज न देने पर कार्यवाही

४०६. **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भिरानी पंचायत (जि० गंगानगर) के एक भूतपूर्व सरपंच श्री रणधीरसिंह के खिलाफ सरपंची का चार्ज न देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही काफी अर्से से एस. डी. एम. कार्यालय नौहर में चालू है?

(२) अगर हां तो यह कार्यवाही उपरोक्त कार्यवाही में कब चालू हुई और वह अब किस स्टेज पर है?

उत्तर

(१) जी हां।

२-१-६४ से।

(२) मामला अभियुक्तगण के बयान लेने की स्टेज पर हैं।

इन्सपैक्टर व डिप्टी-इन्सपैक्टर के कार्यालय

४१४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि संकटकालीन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकारी खर्च में कमी करने की दृष्टि से कुछ जिलों से शिक्षा विभाग के इन्सपैक्टर व डिप्टी-इन्सपैक्टर के कार्यालय हटाये गये थे?

(२) यदि हां, तो वह किस किस जिले से हटाए गए थे?

(३) क्या यह सही है कि कई जिलों में इन्स्पेक्टर व डिप्टी-इन्सपेक्टर के कार्यालय वापिस स्थापित कर दिये गये, किन्तु बून्दी में इन्सपेक्टर व डिप्टी-इन्सपेक्टर के कार्यालयों में से एक भी वापस स्थापित नहीं किया गया? यदि हां तो क्यों?

उत्तर

१. जी हां।

२. शिक्षा निरीक्षक व उपशिक्षा निरीक्षक इन्चार्ज जिला के निम्न कार्यालय हटाये गये थे—

बून्दी, जालौर, डूंगरपुर। जैसलमेर और टौंक।

३. जी नहीं। अभी किसी भी जिले में इन्स्पेक्टर व डिप्टी इन्स्पेक्टरेट फिर से कायम नहीं किये गये।

प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़ द्वारा बीज का बेचना

४१६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री बीरबल सिंह नाम से बिल संख्या ३८१ डी। १७-८-६२ को रु० १२,५२५ तथा बिल नम्बर ५४६ डी। २७-१०-६१ को रु० ५,८५० से बीज के पेमेंट हुए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि श्री बीरबल सिंह पंचायत समिति सूरतगढ के प्रधान हैं ?

(३) क्या समिति के प्रधान का इस प्रकार पंचायत समिति को बीज बेचना कानूनो रूप से सही है ? क्या यह सही है कि इस कारण उपरोक्त प्रधान को प्रधान पद से हटा दिया जाना चाहिए था ? इस पर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) पंचायत समिति का प्रधान पंचायत समिति के साथ अपने व्यापार के सिलसिले में कोई लेनदेन नहीं कर सकता श्री बीरबलसिंह के बीज बिक्री के संबंध में जांच की जा रही है।

पंचायत समिति कुचामन के सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायत

४२४. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) —क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन द्वारा मिठडी में सार्वजनिक (हरिजन बस्ती) बेरा हेतु २०००) रु० की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त रकम का गबन करने व फर्जी हिसाब पेश करने पर सम्बन्धित सरपंच के खिलाफ जिलाधीश नागौर व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को शिकायत हुई ? यदि हां तो जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई व क्या निर्णय रहा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। जांच उप जिला विकास अधिकारी नागौर द्वारा करवाई जा रही है।

पंचायत समितियों के अध्यापकों का मिडल व हाईस्कूलों में स्थानान्तरण

४३२ श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समितियों के अध्यापक मिडल व हाई स्कूल में अपना स्थानान्तरण करा सकते हैं ? अगर हां, तो अब तक ऐसे राजस्थान में कितने स्थानान्तरण हुए हैं ?

(श्री नत्थीसिंह)

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों को मिडल व हाईस्कूल में स्थानान्तरण कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? अगर हां, तो इसको आसान करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति तथा राजकीय नौकरियां दोनों बिल्कुल भिन्न है। अतः साधारणतः इन नौकरियों में आपस में स्थानान्तरण नहीं होता है। परन्तु पदोन्नति दोनों सेवाओं की जिले की वरिष्ठता के आधार पर होती है। अतः यदि नियमॉनुसार पंचायत समिति का अध्यापक पदोन्नति के लिये योग्य है तो वह पदोन्नति होकर राजकीय मिडल या हाईस्कूल में स्थानान्तरण किया जाता है। अब तक कुल ६४७ अध्यापकों का स्थानान्तरण पदोन्नति पर तथा ओप्सन देने पर हो चुका है।

(२) पंचायत समिति के अध्यापकों को मिडल व हाईस्कूल में साधारणतया स्थानान्तरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों सेवायें बिल्कुल भिन्न हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चराई रेट्स एकीकरण कमेटी

६३. श्री अमरसिंह सावरदा (दूदू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के विभिन्न जंगलों के चराई रेट्स में एकीकरण के लिये हाई लेवल कमेटी कब बनी ?

(२) इसके मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

(३) आज तक कितनी बैठकें हुईं ?

(४) इसने आज तक कितना कार्य कर लिया है ?

उत्तर

(१) हाई लेवल कमेटी दिनांक १८-६-६२ को बनाई गई।

(१) हाई लेवल कमेटी के निम्न सदस्य हैः—

(२) वित्त मंत्री निर्माण मंत्री (पी० डब्लू० डी०) (३) वन मंत्री।

(१) १४-७-६४ की बैठक निश्चित हुई परन्तु न हो सकी।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

भादरा व नौहर तहसीलों की न्याय पंचायतों का निरीक्षण

६४. श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) न्याय पंचायतों के पंचों व अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने और उनकी कार्यवाही का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है और इसके लिए क्या पद्धति निर्धारित है ?

(२) तहसील भादरा और तहसील नोहर की कितनी न्याय पंचायतों का और कब २ व किस अधिकारी ने निरीक्षण व प्रशिक्षण १ जनवरी, सन् ६३ से १ जुलाई, सन् ६४ तक किया ?

उत्तर

(१) न्याय पंचायतों के पंचों व अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी विकास विभाग की है। काम के निरीक्षण के अधिकारी मुंसिफों, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट व सिविल जजों की है।

(२) प्रशिक्षण के लिए कलेक्टर मनोनीत करते हैं और प्रशिक्षण पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र में होता है। निरीक्षण के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है कि एक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक न्याय पंचायत का निरीक्षण हो जाना चाहिए। इस अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। प्रशिक्षण १८ व्यक्तियों ने प्राप्त किया।

ग्राम पंचायत धोलागढ़ बहूलू की आय तथा विकास कार्य पर खर्च धनराशि

६५. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) ग्राम पंचायत धोलागढ़ बहूलू (अलवर) में सन् ५२ से अब तक कितनी आय मेल तहसील व पंचायत समिति से हुई ?

(२) उपरोक्त आय में से किस किस सन् में कितना कितना द्रव्य विकास कार्य में खर्च किया और अब तक कुल खर्चा कितना हुआ तथा अब पंचायत कोष में कितना रुपया है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा बीज की खरीद

६६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में पंचायत समिति रायसिंहनगर के पास सुधरे हुए नाज खरीदने के लिये कितना कितना रुपया था और उसमें से कितने रुपयों का बीज खरीदा गया ? आंकड़े वर्ष वार दें तथा जिन लोगों या फर्मों से इन चार वर्षों में बीज खरीदा गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ? बीज खरीदने के क्या आधार थे ?

(२) क्या यह सही है कि १९६०–६१ में ३२,०००) रु० से ऊपर की राशि का बीज खरीदा गया जब कि समिति के पास इस कार्य के लिये २,०५,०००) रु० की राशि थी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीज इंडियन फार्म, सरूपसर, साँलगराम, रामेश्वरलाल, विजयनगर तथा श्री भीमराज गंगवाल से ही खरीदा गया तथा खरीददार बी०डी०ओ० प्रधान एवं ए० ई० ओ० ही थे ?

(४) क्या यह सही है कि बीज १८.५० न० पै० प्रति मन के हिसाब से खरीदा गया तथा इस सम्बन्ध में सब-कमेटी या समिति से कोई मंजूरी नहीं ली गई, और न ही नमूनों के आधार पर टेन्डर मांगे गये ? क्या बी०डी०ओ०, ए०ई०ओ० तथा प्रधान ने ४–११–६०

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को बीज की दर की स्वीकृति दे दी तथा उसी रोज बीज खरीद लिया गया ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीज डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर द्वारा कन्फर्म भी नहीं कराया गया कि बीज परचेज्ड डिजायर्ड क्वालिटी का है या नहीं जबकि कृषि विभाग राजस्थान द्वारा आदेश थे कि चुने हुये बीज में से २० प्रतिशत नमूने जिला कृषि अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है ?

(६) क्या उपरोक्त खरीद में जिला कृषि अधिकारी द्वारा विकसित बीज उपजाने वालों की कोई लिस्ट भी नहीं ली गई ?

(७) क्या यह सही है कि जिन लोगों से बीज खरीदा गया है उनमें से एक श्री भीमराज गंगवाल प्रधान, रायसिंहनगर पंचायत समिति के भाई हैं ?

(८) क्या उपरोक्त खरीद के सम्बन्ध में कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। बीज खरीदने का आधार बीज अच्छा होना था।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां!

(८) जी हां।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति परबतसर द्वारा पम्पिंग सेट्स के लिए ऋण

६७. **श्री जेठमल बरवड** । (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति परबतसर ने कुओं पर पम्पिंग सैट लगाने के लिए पिछले ३ वर्षों में ऋण दिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन व्यक्तियों को लोन दिया गया है उसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पम्पिंग सैट नहीं लगाये ?

(३) क्या यह सही है कि लोन लेने वालों में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इन्जन कम्पनियों द्वारा नहीं खरीद कर पुराने इन्जन खरीदे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No. 36

(श्री पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) केवल श्री जयसिंह ने पम्पिंग सैट नहीं लगाया है।

(३) जी हां। केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

विलेज वालंटियर फोर्स

६८. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) विलेज वालंटियर फोर्स की स्कीम लागू होने से अब तक कितने वालंटियर्स को पुलिस ट्रेनिंग दे चुकी है? पंचायत समिति-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) दलपतियों ने अपनी २ पंचायतों में कितने वालंटियर्स तैयार किए?

(४) अब राज्य सरकार इसके बारे में क्या सोचती है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) ३६,४५६ वालंटियर्स।

(३) मुख्य कारण इस प्रकार है:—

(१) लोगों में उत्साह का कम हो जाना।

(२) अच्छी योग्यता वाले व्यक्तियों का इस अवैतनिक कार्य के लिए उपलब्ध न होना।

(३) दलपति द्वारा दल को संगठित करने के कार्य के लिए अधिक समय का न दे पाना।

(४) दल के सदस्य बनने के लिए लोगों में उत्साह नहीं होना।

(५) दलपतियों का प्रशिक्षण बन्द करने व उनको दी जाने वाली हासिल की छूट नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ व झालरापाटन से पिड़ावा वाया दुबलिया कड़ोदिया बसों के परमिट

६९. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)—: क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ व झालरापाटन से पिड़ावा वाया दुबलिया कड़ोदिया कितनी बसों को इस साल परमिट दिया गया है?

(२) उपरोक्त मार्ग पर इस समय कितनी बसें चल रही हैं? और उनका रवाना होने का व पहुंचने का क्या समय निश्चित किया हुआ है?

Page No. 37

(३) क्या ऐसे भी बस आपरेटर हैं जो परमिट मिल जाने पर भी उपरोक्त मार्ग पर बसें नहीं चला रहे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) जो एक बस इस समय उपरोक्त मार्ग पर चल रही है क्या वह रोजाना चलती है और वह परमिट मिलने के कितने दिन बाद चली ?

उत्तर

१. इस साल झालावाड़ व झालरापाटन से पिड़ावा कोई परमिट मन्जूर नहीं किया गया।

२. झालावाड़ पिड़ावा पर इस समय सिर्फ एक बस चल रही है जिसका समय निम्न प्रकार है :

झालावाड़ रवानगी	पिडावा पहुंच
१६.००	१६.००
पिड़ावा रवानगी	झालावाड़ पहुंच
०७.००	१०.००

मगर बरसात में यह रूट बन्द रहता है।

३. जी हां। जिन्होंने परमिट मिलने पर भी बसें नहीं चलाईं उनकी आर. टी. ए. ने मन्जूरी रद्द कर दी।

४. जी हां। जब से परमिट मिला उसी समय से चलने लग गई थी।

बस्सी पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को ग्राम सेवक भवन बनाने हेतु अनुदान

१००. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बस्सी पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवक भवन बनाने हेतु कोई अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो कब व कितना ?

(२) क्या इस भवन निर्माण कार्य पर पंचायत कोष से भी कोई रकम व्यय की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(४) भवन निर्माण कार्य किस सीमा तक पूरा हो चुका है ?

उत्तर

(१) सन १९६०-६१ में प्रति ग्राम सेवक क्वार्टर २७००) रु० के हिसाब से ऋण दिया गया था।

(२) पंचायत बस्सी ने अभी तक हिसाब प्रस्तुत नहीं किया।

(३) क्वार्टर पूरा बन चुका था किन्तु बाद में वर्षा से ढह गया। पंचायत को उक्त क्वार्टर को पुनः पूरा करने के लिए नोटिस दिए गए है।

Page No. 38

(६.२५ म० पू०)

स्थगन - प्रस्ताव

जयपुर नगर में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री उमराव सिंह ढाबरिया, श्री भैरों सिंह ने जो जयपुर नगर के अन्दर भारी वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं क्योंकि मुख्य मन्त्री जी स्वयं इस स्थिति पर आज वक्तव्य दे रहे हैं। अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो कुछ समय बाद पूरी जानकारी करके, सदन की बैठक आज स्थगित हो, उसके पूर्व इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे देंगे।

श्री रामकिशन (बैर): इस सम्बन्ध में मेरा भी प्रस्ताव था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: अध्यक्ष महोदय, इस समय केवल निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: निवेदन बाद में करना।

श्री रामकिशनः मेरा प्रस्ताव कहां गया, साहब ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: दिया नहीं होगा आपने।

श्री रामकिशनः दिया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री): माननीय अध्यक्ष जी, तारीख १६ से जयपुर में जो भारी वर्षा हो रही है, उसने कल सुबह ८ बजे तक यहां पर १२.६६ इन्च वर्षा हो चुकी है, और इस चौबीस घंटे के अन्दर, जो आज सुबह ८ बजे समाप्त हुए हैं, फिर और ज्यादा वर्षा हुई है। उससे कई जगह शहर के अन्दर पानी भर गया है और जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें खास तौर से काफी लोगों के मकान वगैरह भी टूटे हैं। पूरी तादाद तो इस वक्त में देना सम्भव नहीं है क्योंकि बराबर लगातार वर्षा के होने की वजह से ऑफिसर्स रिलीफ पहुंचाने के काम काज के अन्दर लगे हैं। एक्जेक्ट कितना लॉस होगा, वर्षा खुलते ही असेस कर लिया जायेगा और उस वक्त इसके बारे में अवश्य जानकारी मैं सदन को दे दूंगा। इस समस्या, जो शहर के अन्दर उत्पन्न हुई है और जिसने इतना नुकसान किया है, के बारे में कल सम्बन्धित अधिकारियों को बुला करके बातचीत की गई थी और इस बात का निर्णय किया गया है कि जो पानी इस वक्त में खास तौर से नाहरगढ़ और उस तरफ से आता है और जिसकी वजह से बहुत ही जगह नुकसान होता है, उस पानी को रोकने के लिए नारी के नाके के बांध को पक्का बनाकर, या उसके लिए प्राटेक्शन वाल जैसी बना कर, उस पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकने और उसको ड्रेन आउट कर सकने के लिए कौनसी योजना ठीक होगी उसके बारे में स्कीम तैयार करके जल्दी से जल्दी सरकार के सामने पेश करने के लिए कहा है। कल चीफ इन्जीनियर, बी. एन्ड आर, चीफ इन्जीनियर, इरींगेशन, चीफ इन्जीनियर, टाउन प्लानिंग, चीफ इन्जीनियर हैल्थ और चेयर-

Page No. 39

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैन, म्यूनिसिपल बोर्ड, चेयरमैन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अगर आवश्यकता हो तो फाइनेन्स के आदमी को भी अपने साथ ले लें—इनसे कहा है कि सारी योजना तैयार करके वह जल्दी से जल्दी सरकार के सामने पेश कर दें। साथ ही साथ यह भी निर्णय किया है कि इस वर्ष में जो समय बाकी रह गया है और आगे आने वाले वर्ष में पांच लाख रुपये तक इस योजना पर खर्च करने के लिए उनको अधिकृत कर दिया है। (करतल ध्वनि) जिससे वे इस काम को आगे बढ़ा सकें। इन कार्यों में से कई टेक्निकल बातें होंगी—इसके लिए सीनियर ऑफीसर्स को लगाया है जो सारी डिटेल्स में जाकर योजना तैयार करेंगे। साथ ही जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, और जो कच्ची बस्ती में रहते हैं उनको बसाने के बारे में बात करने को यू. आई. टी. के चेयरमैन को कल बुलाया गया था और उनसे बात चीत करने के बाद यह भी फैसला किया गया है कि पांच सौ प्लाट ऐसी जगह, जहां पर इस प्रकार का खतरा पैदा नहीं हो, इमीजियेटली यू. आई. टी. कलेक्टर के डिस्पोजल पर पुटअप कर दे और कलेक्टर, जहां जहां के लोगों को नुकसान हुआ है इस प्रकार का, उन लोगों को जमीन अलॉट कर दे जिससे वे वहां जाकर बस सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि कल सुबह ८ बजे से लगाकर आज सुबह आठ बजे तक ६.६५ इन्च वर्षा और हो गई है और आज आठ बजे से और वर्षा हो रही है वह इसके अलावा है। १९ तारीख से लगाकर २०.२५ इन्च वर्षा हो चुकी है। इसके अलावा जयपुर के आसपास में, और जगह गांवों के अन्दर, वर्षा से हानि होने के समाचार आ रहे हैं, उनको भी रिलीफ पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जो लोग बेघरबार हो गए हैं, उनके लिए पांच छः जगह सरकार की तरफ से केम्प खोल दिए गए हैं जहां पर खाने पीने का इन्तजाम किया गया है। इसके अलावा पी. डब्ल्यू. डी. और दूसरे गैंग का इन्तजाम किया जा रहा है। जो भी टेम्प्रेरी रिलीफ पहुँचाना सम्भव हो सकता है, वह रिलीफ पानी डाइवर्ट कर और दूसरी तरह से दिया जा सकता है—वह देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार वर्षा होने की वजह से, जो कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, वह रिलीफ देने के अन्दर काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। मैं इस समय इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, इस परिस्थिति की पूरी जानकारी करके सदन के सामने फिर तशरीफ में रख सकूंगा। मैं सदन के माननीय सदस्यों को, खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर वर्षा रुक गई तो, अगर वर्षा चालू रहेगी तो आप लोगों को भी आने में मुश्किल होगी, आज या कल उन अधिकारियों को, जो इसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं और विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी, बुलाकर जो कुछ वे सोच रहे हैं उस पर बैठकर चर्चा कर लेंगे।

श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से वर्षा हो रही है। इससे हुए नुकसान के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत सा नुकसान हुआ है जिसके आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं और ५ लाख रुपया तक वे खर्च करेंगे

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और आयन्दा नुकसान से बचने के लिए कार्यवाही करेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यह नुकसान हुआ है यह कोई नई चीज नहीं है कि जिसमें कोई सहसा केलेमिटी मुख्य मंत्री के सामने आ गई हो। सन् ५८ में भी नाहरी का नाका टूटा था, नागतलाई टूटी थी जिससे कि इधर चांदपोल में और उधर रामगंज चौपड़ तक पानी आ गया था। तो यह पुरानी चीज चली आ रही है। यदि राजस्थान सरकार की तरफ से ही इस सम्बन्ध में इन्तजाम किया जाता तो इस प्रकार की दुखद हालत न होती। बांध के टूटने से पानी आया है उसको पहले ही ठीक डायरेक्शन में मोड़ देते तो शहर में पानी नहीं आता और जो इतना नुकसान हुआ है वह नहीं होता। जयपुर का यह शहर २५० वर्ष पहले इस तरह से बनाया गया था कि कितना ही मुसलाधार पानी बरसे, ५ मिनट बाद एक बूंद भी पानी सड़क पर नहीं रह सकता था। पर आज शहर के परकोटे से बाहर निकल कर जाइये कोई ऐसा मोहल्ला नजर नहीं आयेगा कि जिसमें पानी भरा नजर नहीं आये। बस्तियों को बसाने के लिए प्लान्स तैयार करने पर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, बड़े-बड़े इन्जीनियर्स, एक्सपर्ट्स को आप इसके लिए बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देते हैं वह सब किस लिए हैं, उनको इस तरह के प्लान्स, इस तरह के बस्तियों के ढांचे तैयार करने चाहिये थे जिसमें कि सुचारू रूप से ड्रेनेज सिस्टम आदि की समुचित व्यवस्था होती। पर यह सब कुछ नहीं किया गया, बिना समुचित प्लान्स के बिना ड्रेनेज आदि की उचित व्यवस्था के ये बस्तियां बसाई गईं, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में पानी भर गया है, मशीनरी आदि का कितना नुकसान हुआ है, आप इन इन्जीनियर्स, प्लानर्स, एक्सपर्ट्स को आखिर किस लिये रखते हैं? देश आजाद होने के बाद हमने शासन सत्ता आपको सौंपी। दस साल पहले चांदपोल, सूरजपोल और दूसरे दरवाजों के बाहर खेत थे, बस्तियां नहीं थीं, जो पहले जयपुर बसा था उससे छः सात गुना बसा है वह आपके जमाने में बसा है, इन बस्तियों के बसाने के पूर्व ठीक प्लानिंग नहीं करना, यह सब उत्तरदायित्व आपका है...

श्री मथुरादास माथुर : हमने बसाया है। आप उजाड़ दो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस बसावट से क्या फायदा? आप इसके साथ ही साथ ड्रेनेज आदि सिस्टम्स पर, बसावट पर ध्यान देते तो यह नौबत नहीं आती। कच्ची बस्तियों में हजारों मकान तबाह हो गये। तो चुपचाप अलादीन के चिराग की तरह एक रात में तो यह बस्तियां बस नहीं गई थीं, आखिर पांच दस साल इन बस्तियों को बसने में लगे हैं, राज्य सरकार के छोटे से लेकर मोटे प्रत्येक अधिकारी के ध्यान में यह बात है, पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान इनकी बसावट की ओर नहीं दिया कि मोडल बस्तियों के रूप में इनको बसाया जाय। ड्रेनेज आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिखित में राज्य सरकार के पास अनेकों बार भेजा पर राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी रिपोर्ट आई है कि छोटे-छोटे बच्चे बच्चियां बह गई हैं। जिस राज्य में इन्सान के जीवन की कोई कीमत नहीं वहां और क्या उम्मीद की जा सकती है? आवश्यकता इस बात की है कि जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया यह कोई सहसा केलेमिटी आ गई हो ऐसी बात नहीं है। इन विगत दस वर्षों में अगर इस ओर ध्यान दिया जाता........

श्री अध्यक्ष : यह कह चुके हैं। दोहरायें नही, संक्षेप में कहें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस शहर के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूँ........

श्री अध्यक्ष : सुझावों के बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं निमन्त्रण दिया है, वहां सब सुझाव दे सकते हैं। अभी जो चीज सामने आई है उस चीज पर ही बहस होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : यस चेयरमेन म्युनिसिपल बोर्ड को भी कह दें, उन्हीं की पार्टी के हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चेयरमेन म्युनिसिपेलिटी के बारे में कहने का आपको मौका मिल सकता है पर जयपुर की चार दीवारी के अन्दर आपने हद कायम की है कि यह म्युनिसिपेलिटी की हद है। चेयरमेन म्युनिसिपल बोर्ड अगर ३ फायर ब्रिग्रेड्स को भेज कर हॉस्पिटल को नहीं बचाते तो लाखों का नुकसान हो जाता, उसे केवल म्युनिसिपेलिटी के फायर ब्रिग्रेड्स ने बचाया है।

श्री मथुरादास माथुर : फायर ब्रिग्रेड्स दिये किसने म्युनिसिपेलिटी को ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप आज इस असेम्बली में नहीं आ सकते थे, बाहर अब भी पानी भरा हुआ है, आपके उधर सी. स्कीम के बंगले हैं उस तरफ पानी अब भी मिल सकता है पर शहर की सड़कों पर पानी नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच दिनों में जितनी वर्षा हुई उससे यह स्वाभाविक है कि शहर की व्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन आये, जिससे काफी लोग पीड़ित भी हों और प्रभावित भी हों। यह वर्षा रुक नहीं सकती थी। लेकिन वर्षा के कारण पड़ने वाला प्रभाव, यदि सरकार प्रभावशील ढंग से काम करती तो उसका आज दिन जो असर हो रहा है वह काफी मात्रामें कम हो जाता। जिस दिन पहले रोज बारिश आई उस दिन नाहरी के नाके का बांध टूटा। नाहरी के नाके के पास कोई खड़ा बांध हो ऐसी बात नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

वहां दो बांध १७ तारीख को टूट गये। १७ तारीख से लेकर आज २४ तारीख हो गई, इस ७ दिन के अर्से में मैं समझता हूँ यदि सरकार की तरफ से इन दो बांधों के पानी को रोकने का प्रयास किया जाता तो चांदपोल बाहरकी, चांदपोल से स्टेशन के बीच की बस्तियां हैं, इन सारी बस्तियों को किसी कदर नुकसान से बचाया जा सकता था। पर इस प्रकार का कोई प्रयास न करके आज यह कहा जाय कि हम रोक नहीं सकते थे, या हम मीटिंग बुला रहे हैं, यह तो सब आगे की चीज हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले ७ दिनों में आपने पानी को रोकने के लिये, इन सब बस्तियों को बचाने के लिये क्या किया........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वर्षा चल रही है, बरसते में क्या करते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनता उठा कर फेंक देगी तब पता चल जायगा।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब गये, बाकी के मिनिस्टर्स ने भ्रमण किया, उन सबके सामने सब लोगों की एक ही मांग थी कि इस बांध को रोका जाय, उन लोगों को सब यही आश्वासन दे जाते थे कि विचार कर रहे हैं। सरकार ७ दिन से विचार ही कर रही है। जिस बांध के लिये मैंने कल संकेत किया था कि लाइनिंग किया जाय नहीं तो पानी नया रास्ता पकड़ेगा और २०० घर उस से धराशायी होंगे। पर ऐसा नहीं किया गया, अभी अभी सूचना मिली है कि उस बांध का लाइनिंग टूटना शुरू हो गया है और अब अगर दो घंटे और वर्षा हुई तो वहां २०० घर एक दम बह जायेंगे। ऐसे समय में आप इमर्जेन्सी जैसी चीज ला सकते थे, पुलिस को इस काम के लिये लगा सकते थे, मिलिटरी की सर्विसेज को इस समय काम में ले सकते थे और इस पानी को रोक सकते थे। जनता खड़ी होकर नहीं रोक सकती, सरकार के पास न सामान है और न मिट्टी ढोने के साधन हैं। ऐसे समय के अन्दर सरकार ने अकर्मण्यता का जितना बड़ा परिचय दिया है, वह आज उसके लिये शर्म की बात है। यह सारी व्यवस्था सरकार ने नहीं की।

एक मामूली सी व्यवस्था, कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनको एक, एक दो दो दिन से खाना नहीं मिला उनको यह सरकार खाना तक ठीक ढंग से नहीं बांट सकी, दो मन आटे की पूरियां बना कर एक एक को दो दो पूरियां बांटी। इसमें तो बड़े बड़े एक्स्पर्टस की, बड़े बड़े इन्जीनियर्स को एडवाइज की जरूरत नहीं थी, न बड़ी रकम की जरूरत थी और न प्रस्ताव पास करने की जरूरत थी। इसमें तो सीधी व्यवस्था थी कि आटा गूंदें, पूरियां बेलो और लोगों के घर पर पहुंचाओ। उनका हिसाब लगाकर पूछें कि कितने मन की बनायीं। कभी कहेंगे आठ मन की बनाई, कभी कहेंगे कि दस मन की बनयी। लोगों से पूछें जाकर कि तुम्हें खाये कितने दिन हो गये हैं ? आज यह समस्या है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस मामूली समस्या का भी इन्तजाम न हो सका। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट और म्युनिसिपेलिटी दोनों के लोग वहां से गायब थे। ऐसा

Page No. 43

(श्री भैरोंसिंह)

लगता है कि चांदपोल में मिट्टी आयी उस मिट्टी में सरकार दब गयी, नगरपालिका दब गयी और उसी मिट्टी में अर्बन इम्प्रूवमेंट भी दब गया।

आज हमारे सामने यह प्रोब्लम ऐसी है उसको लेकर यों मान कर चलें कि आप एक दूसरे कि आलोचना करके चलेंगे इससे काम नहीं चलेगा। मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं पब्लिक की ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है उसकी परवाह मत कीजिये, पब्लिक आप को पैसा चाहिये पैसा देगी, जितना आटा चाहिये, आटा देगी, जितना तेल चाहिये तेल देगी, जितना कोऑपरेशन चाहिए कोऑपरेशन देगी। किसी बात की जनता की ओर से कमी नहीं है। कमी है तो सामान ढोने की है। कल आटा लेकर गये। दो घंटे के अन्दर एक फर्लांग चार बोरियां लेकर गये। न ट्रेक्टर चलता था और न बुलडोजर हमारे पास था। प्राइवेट एजेन्सीज़ ट्रान्सपोर्टेशन का इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं। चाहिये आपका कोऑपरेशन। मोबीलाइज़ करने की समस्या है। इस समस्या को हल किया जा सकता है।

लेकिन आज यह प्रोब्लम बढ़ रही है। इसमें कच्ची बस्तियां और शहर की कुछ सड़कें और रास्ते आते हैं। आज तक आप कच्ची बस्तियों की बात करते थे, आप चान्दपोल बाजार में जाइये। वहां पर दूकानों में पानी घुस गया है। पानी के साथ जब मिट्टी आयी है तो दूकानों में दो दो, तीन तीन फीट मिट्टी पड़ी हुई है और पानी प्रवेश करता जा रहा है, दुकानों में लोगों ने बोरियां लगायी उनको पार करके भी पानी उनमें भरता जा रहा है। यह प्रोब्लम कच्ची बस्तियों की ही नहीं है, शहर की प्रोब्लम भी है। मैं मंत्री अर्बन और म्युनिसिपेलिटी से पूछना चाहता हूं और उनकी वकालत करते हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चांदपोल में मिट्टी पड़ी क्यों है, वह क्यों नहीं उठी ? पांच दिन से वह मिट्टी पड़ी है, आज तक उठायी नहीं गई और उस मिट्टी के वहां पड़े रहने से और पानी के निरन्तर बरसते रहने से चौकड़ी मोदी खाना, तोप खाना हजूरी और जितने भी ढलाऊ एरियाज़ हैं उनमें फोर्स से पानी मकानों में घुस रहा है। उन मकानों में मिट्टी घुसती चली जा रही है। लोगों के सामने बड़ी भारी समस्या है। मुख्य मंत्री महोदय ने देर से यह बात स्वीकार की कि हम मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग के लिए समय खोने की आवश्यकता नहीं है। हमें बरसात में भीगने की भी कोई परवाह नहीं है। आप मीटिंग बुलाइये, हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं। आप इन सारी बातों को कन्ट्रोल करने के लिए एक सेन्ट्रल एजेन्सी कायम करिये जहां जाकर लोग कह सकें कि हमारे मकान टूट गये हैं, हमें फलां रिलीफ की आवश्यता है। १६ तारीख को लालजी के अहाते में पानी भरा है, प्लानिंग मिनिस्टर साहब रोज उधर जाते हैं, आनन्दपुर में पानी भरा हुआ है लोगों की मांग है पानी वहां जो भरा हुआ है उसको निकालने के लिए। मंत्रीजी कहते हैं मशीन आ रही है, पम्प आ रहे हैं। न मशीनें पहुंचती हैं, और न ही पम्प पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी दर्दनाक स्थिति है।

(श्री भैरोंसिंह)

वहा से सरकार उस पानी को निकालने के लिए इन्तजाम नहीं कर सकी इस कारण धीरे धीरे गरीबों के मकान बह गये। सरकार कह रही है कि हमने शेल्टर बनाये हैं। कितनी जगह शेल्टर हाउस बनाये हैं? कुछ सीकर हाउस में लोग पड़े हैं, कुछ इधर-उधर मारे मारे फिर रहे हैं, कोई उनके टहरने की रहनेकी, व्यवस्था नहीं है। क्या आपने लोगों को सूचना दी कि हमने तुम्हारे लिए फलां जगह शेल्टर हाउस बनाये हैं, तुम को फलां जगह शेल्टर मिलेगी, फलां जगह पर खाना मिलेगा, अमुक स्थान पर तुम्हारा इलाज होगा और तुम अपने बारे में सूचना कर सकते हो, इसलिए फलां जगह से टेलीफोन किया जा सकता है, लेकिन जिन बस्तियों में टेलीफोन और रोशनी की व्यवस्था थी, वहां पर सारी लाईनें ही टूट गयी हैं। न टेलीफोन की व्यवस्था है और न ही बिजली की व्यवस्था है। जिन बस्तियों में रोशनी की व्यवस्था थी वहां सब टूट गई हैं। रात को बरसात आयी है, घरों में लोगों के यहां रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बिजली की लाइन थी, बिजली से काम लेते थे। अब लाइन न रहने से भी उनकी बरसात में रोशनी न रहने से बड़ी भारी परेशानी पैदा हो गई है। जगह जगह गड्ढे हो गये हैं इस कारण रोशनी के अभाव में लोग गड्ढों में गिर जाते हैं, इस कारण उनको चोट आ जाती है। न ही वह अपने सामान की हिफाजत कर सकते हैं।

यह सारी प्रोब्लम एक ह्यूमन प्रोब्लम है इसको लेकर जितने भी स्टेप्स लिये जांय, मैं अपनी पार्टी की कहता हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएन्सी से आया हूं उस कॉन्स्टिट्यूएन्सी की कहता हूं और मेरी पार्टी के माननीय सदस्य जो दूसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी से आये हैं उनकी ओर से कहता हूं, जयपुर शहर की ओर से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि यदि पैसे की आवश्यकता होगी तो दिलायेंगे, मेन्युअल लेबर की आवश्कता होगी तो दिलायेंगे, आटे की जरूरत होगी तो दिलायेंगे, लेकिन सारी मशीनरी को मोबीलाइज़ करके जनता के कष्टों को दूर करने के लिये उपयोग करें।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह एक देवी प्रकोप है इसका मुकाबला हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह प्रोब्लम सारे राजस्थान की बनती जा रही है।

ज्यादा खेद की बात तो यह है कि सारी मशीनरी राजस्थान सरकार के पास होने के बावजूद भी और जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के बावजूद भी हम इसका मुकाबला न कर सकें यह हमारी असफलता का परिचायक है। हम सबको इसके लिये खेद है। मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बहस का प्रश्न नहीं है। शायद माननीय सदस्य सब बोल चुके हैं और अब उन हिस्सों में जाना चाहेंगे। हम भी यही चाहते हैं बजाय इसके कि इस पर अब अधिक बहस हो। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि जैसा कन्ट्रोल रूम के लिए कहा गया तो हमने परसों से वह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कायम कर दिया है। उसके टेलीफोन नं० ६०५७ हैं। कहीं कोई बात हो तो कन्ट्रोल रूम को टेलीफोन से भी सूचना भेजी जा सकती है। वहां से रिलीफ पहुंच सकता है।

खाने-पीने का जहां तक सवाल है, कैम्प कई जगह खोले हैं। नारी का नाका इलाके में रहने वाले पारीक कॉलेज में चले जांय, अगर वहां ओवर क्राउड हो गया हो तो खंडेलवाल स्कूल में व्यवस्था है। वहां पर इन्तजाम कर दिया गया है। फर्स्ट डे, २२ तारीख को ही कह दिया था कि वहां जा सकते हैं। ऐसे मौकों पर कई बार ऐसा होता है कि लोग-बाग अपने मकान छोड़ कर कैम्प में नहीं जाना चाहते है इस वजह से भी बहुत से कैम्प में नहीं गये। खाने पीने के इन्तजाम के लिए सरकारी अधिकारियों को रुपये पैसे के लिए कोई रुकावट नहीं है। जो भी रिलीफ देने का है, खाना पहुंचाना है, उन सबके लिए अधिकार दिया हुआ है और कहा हुआ है पूरी तौर से।

नारी के नाके के बांध के १९ तारीख को टूटने के बाद लगातार बारिश होती जा रही है। बुलडोज़र उस जगह जब कि जैसी हालत है रास्ते की वहां तक पहुंच कर काम करता है या नहीं करता यह भी एक प्रश्न है। दूसरा इस बारिश में, तीन इंच में ही कच्चा बांध टूट गया, परसों फिर बारिश हुई, कल फिर हुई, आज फिर हो रही है, उनको परमानेन्टली रिलीफ मिल जाता यह भी सोचने की बात है। जो बांध तीन इंच और कुछ सेन्ट बारिश में टूट गया, कल ६ इन्च और कुछ सेंट बारिश हुई, आज सवेरे तक कल से ७ इन्च बारिश और हो चुकी है, कई चीजें इसके साथ जुड़ गई हैं कि कुछ कच्ची बस्तियां हैं, कुछ ऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हैं, कुछ अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन्स, कुछ बस्तियां बसाई हैं, कई प्रोब्लम हैं।

उनको चेन्जन्ड सर्कमस्टान्सेज़ में देखना होगा। इसके लिए पूरा रास्ता निकालना चाहते हैं, निश्चित रूप से कुछ करना चाहते हैं। कब कितनी वर्षा वहां हुई है या होती रही है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो अनप्रेसिडेन्टेड सर्कमस्टान्सेज़ लगातार इस प्रकार बारिश होते रहने के कारण पैदा हुई है उनका मुकाबला हमें करना है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तौर से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है करना चाहती है और जनता के द्वारा सहयोग मिलेगा इसमें हमें कोई रिज़र्वेशन नहीं रखना चाहिये और यह बात मान कर चलना चाहिये कि यह ह्यूमन प्रोब्लम है और ह्यूमन प्रोब्लम मान कर ही इसको हल करना है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : लोस आफ ह्यूमन लाइफ कितना हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बातें तो बहुत निवेदन करना है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय मैं कल वहां जाकर देखकर आया हूं और वहां की स्थिति मैं देखकर आया हूं वह निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो मिनिट के लिए निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : केवल दो मिनिट।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि नारी का नाका है वहां पर बस्ती बसी हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां पधारे हैं। उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि दो-तीन साल पहले यहां लोग बसे हैं तो उन्होंने यह ख्याल नहीं रखा है कि तालाब के बीच में जाकर बसे हैं। पहले से ही उनको ऐसी जगह क्यों बसाया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत से अनआँथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन्स हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने एक-एक आदमी से बात करके पूछा तो मुझे यह बताया गया है कि सन् ६२ के इलेक्शन के पहले हमने मकान बना लिए, हटने के लिए नहीं कहा और कहा कि बसना चाहते हो या नहीं, हमने कहा चाहते हैं। ६०), ६०) एक-एक कच्ची झोंपड़ी का लिया गया। फिर आप कहते हैं कि अनआँथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर लिए। मैं वहां यह देख कर आया हूं कि पाइप लाइन फिट है, टेप से पानी उनको दिया जा रहा है। अनआँथोराइज्ड कन्स्टक्शन थे तो पाइप लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन किस प्रकार वहां पर चली गई? किस प्रकार उनको चालू रखा? ये सारी चीजें बनने के पहले प्लानिंग करने वालों को देखना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन का समय था। सरकार नहीं बोलना चाहती थी और दूसरे माननीय सदस्य भी नहीं बोलना चाहते थे। चुनाव में वोट लेने का समय था। उनको मौत के मुंह में ही बसने का मौका दिया गया और इस कारण उन लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ जो किनारे-किनारे पर बसे हुए हैं और जिनके मकान टूट गये, झोंपड़े बह गये।

नारी के नाके को बांधने की बात कही गई तो इसके लिए मैं एक मिनिट लेना चाहता हूं। बांध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ३० फीट ऊपर चले जाइये। अगर यह बंध जायगा और जिस हालत में पानी आता है ३० फीट के नीचे इतना नीचा है कि वह पानी निकल जायगा।

इसका एक खास कारण यह भी है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा एक नई सड़क बनाई जा रही है। उस तरफ से जो यह पानी बहता था उसको वहां रोक कर सड़क बना रहे हैं। उसी के कारण यह नारी के नाके का बांध टूटा है। कल जाकर के उस सड़क के नीचे से नाले को साफ किया गया और पानी को जाने दिया गया। मेरा इसमें निवेदन यह है कि हम जयपुर की इन बस्तियों के बारे में जितने भी प्रश्न उठाते हैं उसका उत्तर सरकार द्वारा अच्छे ढंग से नहीं दिया जाता टालम-टोल का जवाब दिया जाता है। जो प्लानिंग हमारे यहां करते हैं वे केवल कागजों में करते हैं, मौके पर जाकर देखकर नहीं करते इसी कारण इतनी गलतियां रह जाती हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

राजस्थान के छोटे-छोटे गांवों में भी आज इसी तरह से वर्षा हो रही है; मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कलेक्टर, एस० डी० ओ० आदि जो अधिकारी हैं उनको इस प्रकार के आदेश दिये जांय जहां कहीं भी इस प्रकार के नुकसान होते दिखायी दें वहां पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : भरतपुर के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां के अधिकारियों को भी तत्परता से इस सम्बन्ध में काम करने के आदेश दिये जांय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि दो-तीन दिन से असाधारण वर्षा के कारण जयपुर शहर में बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरह से माननीय योजना मंत्री ने कहा और यहां की म्युनिसिपेलिटी की खिल्ली उड़ायी वह एक हास्यास्पद स्थिति का परिचायक है। आज जिस प्रकार की परिस्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने जो उद्‌गार प्रगट किये उसको सुनकर आश्चर्य एवं दुःख हुआ। बेचारी म्युनिसिपेलिटी क्या करे, म्युनिसिपेलिटी द्वारा जो कुछ किया जाना था वह उसने किया और कर रही है। आप उसके लिये कह सकते हैं कि अकर्मण्य है लेकिन मैं समझता हूं कि यह समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है यह एक दुर्घटना की समस्या है। एक असाधारण समस्या है उसको असाधारण रूप में लेना चाहिये और इसको सरकार अपने हाथ में लेकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। मैं इसके साथ साथ यह भी समझता हूं कि हालांकि मुझे व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है जयपुर शहर के लेवलिंग के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि हेफेजर्ड प्लानिंग के द्वारा, बिना किसी प्लान के द्वारा, जिस तरह की यहां बस्तियां बढ़ रही हैं, उसी के कारण यह सब दुर्घटनायें हो रही हैं। इसका उत्तरदायित्व योजना मन्त्री पर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये तो अभी अभी आये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा यह निवेदन है कि इस समस्या को शोर्ट या लोंग टर्म बेसिस पर सुलझाया जाना चाहिये। और इसका हल निकाला जाना चाहिये। केवल यह कह देना कि म्युनिसिपल कमेटी की कमियों के कारण यह हो रहा है या इधर उधर दोषारोपण करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि आपको योजना-बद्ध रूप से इस समस्या का हल निकालना चाहिये।

वर्षा के निरन्तर पड़ते रहने के कारण बुलडोजर नारी के नाके तक नहीं ले जा सके इसके लिए मेरी सहानुभूति है। वर्षा के समय भी बुलडोजर आ सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : बुलडोजर भेजने की कोशिश ही नहीं की इसके अलावा कुछ न कुछ तो कर सकते थे।

Page No. 48

श्री मथुरादास माथुर : बुलडोजर -तो आये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सद्-भावना प्रदर्शित की है उसके लिये हम आभारी हैं। इसके साथ साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि यह उनकी ही नीति का परिणाम है जिसके कारण आज यहां की जनता को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व सरकार पर ही है।

श्री रामकिशन (वैर) : मैं अध्यक्ष महोदय, केवल दो चीजों की जानकारी चाहूँगा। एक तो यह कि पहाड़ पर कुछ बन्ध बन्धे हुए हैं उन बन्धों की मरम्मत कब कब की गई और इसके साथ साथ यह भी बतावें कि वे बन्धे किस उद्देश्य से बनाये गये हैं।

दूसरा टी० बी० सेनीटोरियम के पास जो नयी सड़क बन रही है उसके कारण जो इस नाले को रोका गया क्या यही कारण नहीं है इस बाढ़ के आने का ?

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण, मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कुछ कहा है। मैं स्पष्टीकरण के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। परसों जब वर्षा बड़े जोरों से हो रही थी उस वक्त यह मामला सामने आया था कि जहां जहां भी पानी भर गया है पम्प करके उस पानी को निकाला जाय। पब्लिक वर्क्स डिपार्ट-मेंट के पास जितने भी पम्प्स थे वे सारे के सारे पम्प्स मेडिकल कॉलेज हाल के नीचे जो स्टोर रूम था उसमें लग रहे थे। वहां पानी भर गया था अतः उसे निकालना जरूरी हो गया था। बाहर से पम्प्स मंगाने का प्रयास किया गया तो आमेर के पास सड़क टूट गयी थी इसीलिये वे पम्प्स वहां से मौके पर न आ सके। ९ बजे बाद वे पम्प्स आये जब वहां की सड़क ठीक हो गई। उसके बाद वे पम्प्स यहां पर बराबर काम कर रहे हैं, उनसे काफी पानी निकाला गया, तो वहां बस्ती के अन्दर झगड़ा हो गया कि उधर से निकाल कर इधर पानी डालेंगे तो हमारे मकानों को खतरा होगा; इसलिये उन लोगों ने बाधा पहुंचाई और कहा कि यहां पर पम्प मत लगा-इये। माननीय सदस्य यह जो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है यह उनका बड़ा गलत ख्याल है। दो तीन दिन से लगातार पानी पड़ रहा है फिर भी हम लोग घर घर घूमे हैं, हर झोपड़े में गये हैं। माननीय सदस्य के मकान पर हमने १० मन पूड़ियें लाकर लोगों में बांटी है। उसके बाद भी यह कहा जाय कि सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है....

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह कह सकते हैं कि एक भी बस्ती का पानी आपके पम्प्स द्वारा बाहर निकाला गया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया कि पम्प लग रहे हैं लेकिन लोग पानी को निकालने देना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बतलाइये किसी बस्ती से पानी निकाला गया क्या ? आप अब भी जायेंगे तो आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे निवेदन किया सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रही है । वहां के लोगों का सहयोग चाहिये जो पूरी तरह नहीं मिल रहा है। ह्युमेनली पोसिबल जितना कोओपरेशन हो सकता है वह दिया जा रहा है। नारी के नाके पर मैं खुद होकर आया हूं, वहां पर पी० डब्ल्लू० डी० की गेंग लगाई गई है जो बराबर काम कर रही है। इसके अलावा लोंग टर्म प्लानिंग के बारे में जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा इन्जीनियर लोग बतायेंगे। आज की हालत में जितना भी रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। रात को ८ बजे तक हम दस मन पूड़ियें बांटकर आये हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है इस लिये जो जरूरत मन्द हैं उनको मिलती नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वितरण में माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार से) आप तो कहीं नजर भी नहीं आये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपको कहां से नजर आता, आप तो मोटर गाड़ियों में घूम कर आ गये। हम तो पैदल घूमने वाले हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप से ज्यादा पैदल घूमा हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो उसी बस्ती में रहता हूं। मैं हर घर घर गया हूं लोगों से उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा है। हमने उनके लिये चन्दा इकट्ठा किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : जिन जिन बस्तियों में मैं गया हूँ आप कहीं भी नजर नहीं आये हैं, म्युनिसिपेलिटी का कोई आदमी नजर नहीं आया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जयपुर से क्या स्वतन्त्र पार्टी मर गई थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : लालटेन तक नहीं जलायी गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह भी आप ही की बदौलत है आपकी बिजली सब जगह फेल थी । हमने तो उसके लिये चन्दा इकट्ठा किया और लोगों को मदद दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में विवाद बढ़ाने से समस्या का हल नहीं है। सच्चाई कई तरीकों से रखी जा सकती है और जितने स्वस्थ ढंग से रखें उतना ही ज्यादा अच्छा हो। कई प्रश्न आये जिनके लिए विचार हो रहा है लेकिन एक बात का जो माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि जो बस्तियां बसीं आँथोराइज्ड या अनआँथोराइज्ड उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक तरह से प्रारम्भ में

(श्री अध्यक्ष)

नहीं हुई इसलिए यह स्थिति पैदा हुई। उसका मुख्य कारण यह भी है कि ड्रेनेज की समस्या कई बार आती है और यह केवल टाउन प्लानिंग के हिसाब से नहीं है न उस हिसाब से सड़कें बनती हैं और न ड्रेनेज। सैकड़ों मिसालें हैं। अब सैकड़ों गांव उससे प्रभावित होते हैं, हर साल होते हैं। बांध बनते हैं, नहरें बनती हैं लेकिन जो आवश्यक बातें हैं ड्रेनेज के सम्बन्ध में या इन्जीनियर्स महोदय यह सोचते हैं कि चूंकि यह इलाका रेगिस्तानी है इसलिए पानी की समस्या है ही नहीं। चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें ड्रेनेज की व्यवस्था पर पूरी तरह से विचार करना है और सरकार को और हमारे जो एक्सपर्टस हैं उनको भी विशेष तौर से इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी योजना बने उसके निहित हिस्से बन जायें ड्रेनेज और दूसरी आवश्यक चीजें। तो मैं समझता हूं कि हर साल जो ऐसी दिक्कत आ रही है वह नहीं आयेगी। मुख्य मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया है माननीय सदस्यों को उससे सन्तोष होना चाहिए और समय समय पर वह आपसे सम्पर्क करते रहेंगे और जो स्थिति आई है उसको सब को मिलकर जितनी राहत पहुंचा सकें उसकी कोशिश करनी चाहिए न कि विवाद बढ़ाकर। अतः इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाता है और आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

कुछ विधेयक ऐसे हैं जो वापिस लिए जाने हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह जो हर जगह अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है इसको इमर्जेन्सी की तरह ट्रीट किया जाये और सदन की कार्यवाही को आज स्थगित करके जो भी राहत उन लोगों को पहुंचाई जा सके वह पहुंचाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया उसके लिए अन्य माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये हैं। यह समस्या केवल जयपुर शहर तक ही सीमित नहीं है लेकिन राजस्थान भर में इस प्रकार की समस्या है और सब जगह ऐसी स्थिति बन रही है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टियों के नेतागण और अधिकारीगण हैं उनसे विचार करके जो भी निश्चय करें कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये, कितने समय के लिए की जाये क्योंकि कई माननीय सदस्य चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करें और अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, इसलिए उस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की जायेगी उसके बारे में माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

विधेयकों की वापसी

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान म्युनिसिपेलिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

म्युनिसिपेलिटीं (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्थान म्युनिसिपेलिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को वापिस लेता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस विधेयक को वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज-भाषा अधिनियम, १९५६ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बिल को वापिस लेने के लिए बधाई देना चाहता हूँ।

श्री रामकिशन : साथ ही हम यह भी आश्वासन चाहते हैं कि इसको फिर कभी नहीं लाया जायेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान सरकार ने अपनी जिन्दगी में पहली बार जनमत के आगे झुककर और विरोधी पक्ष की सलाह को मानकर जो पहली बार बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि अन्तिम बार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऑफिशियल लेंग्वेज (अमेन्डमेंट) बिल, को वापिस ले रहे है तो सबसे पहले यह बतायें कि कितने दिनों बाद फिर इन्ट्रोड्यूज़ करने वाले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जैसा रूल्स ऑफ बिज़नेस का कानून है वह कानून लागू होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह धन्यवाद के जितने वर्ड्स है सारे एक्सपंज कर दिये जायें, सब निकाल दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजभाषा (संशोधन) विधेयक, १९६४ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशन : इस प्रश्न पर विरोधीपक्ष जीता है इसलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । प्रश्न ही ऐसा है ।

श्री मथुरादास माथुर : धन्यवाद भी लें और इस्तीफा भी दें। मैं विधेयक को वापिस लेता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आश्वासन चाहता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स के रूप में अब नहीं आयेगा । यह एश्योरेंस चाहते हैं पहले इसके कि हाउस एडजॉर्न हो जाये और हाउस के एडजॉर्न हो जाने के बाद गवर्नमेंट इसको एक ऑर्डिनेन्स के रूप में इन्ट्रोड्यूज़ कर दे और लागू करदे और फिर हाउस के सामने यह मजबूरी पेश करे कि हमने ऑर्डिनेन्स के रूप में लागू कर दिया तो पास करना पड़ेगा और इस पर्पज़ से इसको वापिस लिया जाये कि यहां होने वाली प्रोसीडिंग्ज को अवॉइड किया जाये और इसके विरोध को अवॉइड किया जाये और यह सोचा जाये कि इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अभी तो हाउस से वापिस ले लिया जाये और फिर ऑर्डिनेन्स के रूप में आ जाये तो, मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार इस बिल को हाउस के एडजॉर्न होने के बाद ऑर्डिनेन्स के रूप में नहीं लायेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ऑर्डिनेन्स के रूप में नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४.

(१०.० म०पू०)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक द्विसूत्रीय योजना है । उसका प्रथम चरण पंचायत समिति और द्वितीय जिला परिषद है । इसी प्रकार पंचायतें ३ प्रकार के सदस्यों में विभाजित हैं । पहले निर्वाचित सदस्य, सहवरण सदस्य और फिर सहयोगी सदस्य, इलेक्टेड, कोऑप्टेड और एसोसियेट मेम्बर्स । पंचायत समितियों में भी ३ प्रकार के सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य जिनमें एक्स-ओफिशियो सेक्रेटरी, एस० डी० ओ०, एम० पी० और एम० एल० ए० हैं । फिर सहवरण सदस्यों में महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और निर्वाचित सदस्य न्याय पंचायत के सर्किल के प्रतिनिधि और ३ प्रतिनिधि सहकारी समितियों से चुने जायें, वह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होंगे। प्रधान के चुनाव के संबंध में भाग लेने वाले पंच, सरपंच, न्याय पंचायत के पंच मतदान करेंगे। यह योजना मैं समझता हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : न्याय पंचायत के सदस्य तो वोट नहीं करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल में प्रधान के चुनाव में न्याय पंचायत के भी पंच और सरपंच नहीं करेंगे मैं क्षमा चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : उस सर्किल का एक नुमाइन्दा होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो जहां तक यह व्यवस्था है वहां तक तो मुझे विशेष आपत्ति नहीं है। केवल मात्र मुझे इतना ही निवेदन करना है कि यह व्यवस्था एक हद तक मंहगी होगी। परन्तु प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता हूँ।

पंचायत समिति का कार्यकाल ५ वर्ष के लिए जो रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ।

(१०. १०. म. पू.)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरे खयाल से यह व्यवस्था एक स्थिरता और स्टेबिलिटी लाने वाली होगी। और उसके साथ साथ जो प्रधान के चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, वह यह मैं नहीं कहता कि राजनैतिक कारणों के द्वारा की गई है। मेरे खयाल से सरकार के पास कारण होंगे। किन्तु जहां तक व्यक्तिगत मेरा अनुभव है मैं निश्चित रूप से सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रधान का चुनाव, उसका कार्यकाल पंचायत समिति के कार्यकाल के बीच ढ़ाई वर्ष ही होना अधिक लाभदायक नहीं हो सकता। मैं यह समझता हूं कि इससे हानि विशेष है बनिस्पत लाभ के। जब आपकी पंचायत समिति की अवधि ५ साल है, जब एम० एल० एल० की अवधि ५ साल है, जब एम० पी० की अवधि ५ साल है तो मैं नहीं समझ सकता कि यह असाधारण रूप से जो प्रावधान रखा गया है इसका क्या खास कारण हो सकता है? मैं जहां तक समझता हूँ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि प्रधान को ढ़ाई साल की अवधि में चुनाव फिर सीक करना पड़े, चुनाव के लिए फिर खड़ा होना पड़े तो इसके अन्दर कई निश्चित रूप से षडयन्त्र होंगे। इसके अन्दर पंचों और प्रधान में कोई मेलजोल नहीं रहेगा, और जब तक तालमेल की भावना नहीं रहती तो संभव है कि सरकारी कर्मचारी भी इसके अन्दर षड़यन्त्र करेंगे, उसमें दिलचस्पी लेंगे कि प्रधान के पद के अन्दर कोई न कोई परिवर्तन हो, और इससे विकास के कार्य में, निर्माण के कार्य में हानि होगी। तो चुनाव पद्धति पर आप बल दें किन्तु अत्यधिक बल देने पर हानि विशेष है बनिस्पत लाभ के, और उसके साथ जैसा कि मैंने निवेदन किया, निर्माण-कार्य आप ठोस रूप से नहीं कर सकते। सादिकअली कमेटी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ने भी यही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पंचायत से पंचायत समिति का काम विशेष स्थिरता रूपेण हुआ है, आज पंचायत समितियों का कार्य जितना स्थिर रूप से हुआ है, पंचायत समिति जम सकती हैं तो मेरे खयाल में वह पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव के सम्बन्ध में जो प्रावधान रखे गये हैं उसका मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा यह निश्चित अभिमत है कि ऐसा प्रावधान पंचायत समिति के लिए हितकर नहीं होगा।

यदि आप इसकी आवश्यता भी देखें तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि प्रधान के लिए २ टर्म रखे गये हैं। १० वर्ष के लिए एक आदमी प्रधान रहेगा। अच्छे और बुरे प्रधान, लोकप्रिय प्रधान और कमजोर प्रधान के बीच कोई न कोई आपके लिए परख का मापदण्ड होना चाहिए। इसलिए आप एक बार प्रधान अगर चुनकर आये तो उसकी टर्म पूरे ५ साल तक की करें। उसकी अवधि, उसका कार्यकाल पूरे ५ साल तक आप रखें तो विशेष हितकारी होगा। यदि वह अपनी योग्यता और लोक प्रियता द्वारा दुबारा चुनकर आये तो अगर आप स्क्रीनिंग मेथड को पसन्द करेंगे तो मैं इसका विरोध नहीं करता, तो चाहे ढ़ाई वर्ष के बाद वापिस चुनाव के लिए खड़ा होना पड़े तो कोई आपत्तिजनक व्यवस्था नहीं होगी। यहां पर मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता लेकिन मैं एक उदाहरण युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देना चाहता हूं। वहां पर अगर प्रेजीडेन्ट को भी आप देखें तो लगेगा कि तीन बार वह चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और तीन बार चुनाव में वह सफल हो जाय तो चौथी बार वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता।

इसके अलावा जीवन-यापन के लिए अगर प्रधान के लिए कोई केरियर के रूप में आश्वासन देते हैं, प्रलोभन देते हैं तो मेरे खयाल में एम० पी० और एम० एल० ए० के रूप में भी केरियर के स्वरूप में जो आश्वासन देते हैं, अगर एक केरियर, जीवन-यापन का अगर कोई जरिया, कोई सहारा, कोई केरियर के बेसिस पर आप प्रधान को देना चाहेंगे, तो मेरे खयाल से पंचायत समितियों का काम बराबर जम सकेगा, प्रधान, निर्बाध, निष्पक्ष रूप से काम कर सकेंगे। वर्ना लगातार सरपंचों को खुश करने में रहेंगे और काम में उनकी अधिक रुचि कभी भी नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था अगर सरकार लाना चाहे आजमाइश के रूप में तो सरकार की इच्छा। लेकिन मेरा जो निवेदन करने का कर्त्तव्य था वह मैंने निवेदन किया और सूक्ष्म रूप से मैं फिर से इसको दोहराऊंगा कि प्रधान की टर्म ५ साल तक हो और दूसरी टर्म के अन्दर उसको चुनकर आने दें और ढ़ाई वर्ष के पश्चात् उसको फिर चुनाव में खड़ा होना पड़े। यदि वह चुनकर आता है तो १० साल तक वह प्रधान रह सकता है। १० साल के पश्चात् आप स्टोपल के रूप में, रुकावट के रूप में, कोई न कोई ऐसी योजना जैसी कामराज प्लान की योजना है तो १० साल तक प्रधान का काम करने दिया जाय और १० साल काम करने के पश्चात् कामराज योजना को लागू करके प्रधान पर काम में ले आयें। अभी तक मन्त्रियों पर कामराज प्लान निश्चित रूप से लागू हुआ कि नहीं, उसके ऊपर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्या वाद-विवाद है लेकिन जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के लिए सब अच्छी चीजों की पूर्ति होनी चाहिए। इस सिद्धान्त पर कोई दो मतलब नहीं हो सकते। यह सार्वजनीन सिद्धान्त है और अगर इस सिद्धान्त के अनुसार आप दूरदशिता के रूप में विचार करेंगे तो अधिकाधिक इसको राजस्थान के हित में अनुभव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बार पहले भी इस सदन में निवेदन किया है पंचायत समिति, तहसील और हरेक विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित और को-टर्मिनस होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए ताकि पंचायत समिति, तहसील और विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र का डेफिनेट कनोटेशन हो। पंचायत समिति का क्या अर्थ है, सारी दिक्कतें वह समझ सकें, विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है वह भी सामान्यरूप में सब लोगों को भलीभांति विदित हो सके। अगर ऐसी कोई न कोई योजना आप ला सकते हैं तो सुविधाजनक होगा।

अभी अगर आप चाहते हैं तो चुनाव और करायें, देरी भी होगई है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे सही चुनाव कराये और जल्दी से जल्दी चुनाव कराये तो उसमें कोई हानि नहीं हो सकती, लेकिन मैंने यह भी एक बार इस सदन में निवेदन किया था कि पंचायत चुनाव और आम चुनावों को आप साथ में रखेंगे तो व्यवस्था आपकी सुचारुरूप से और कम खर्चीली व्यवस्था हो सकेगी और उसमें बराबर निरन्तर चुनाव होते ही रहने से यह जो समस्या है वह भी कम हो जायेगी। वैसे अति सर्वत्र वर्जयेत् गांव में बार बार चुनाव हों, दो तीन वर्ष में चुनाव हों उससे अस्थिरता बढ़ती है, पार्टीवाद बढता है, कटुता और विरोध बढ़ता है।

यह भी एक हद तक आप करें जनतन्त्र की स्वस्थ प्रणाली के सिद्धान्त को मानकर। लेकिन यदि आप ५ साल में एक चुनाव कराते हैं तो सब को सुविधा होगी और मेरे ख्याल से जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार भी ऐसी योजनाबद्ध कार्यवाही जनता के समक्ष रखेंगे तो सर्वमान्य होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् में भी ३ प्रकार के सदस्यों के रहने का प्रावधान है: पदेन, सहवर्णित और सहयोगी। इसमें पदेन सदस्यों में भी, जहां तक मैंने पढ़ा है यदि मैं ठीक कहता हूं, यदि गलती है तो आप बतलादें, इसमें पंचायत समितियों के प्रधान, एम. एल. एज और एम. पीज होंगे। सहवर्णित में महिलाएं, हरिजन, आदिवासी होंगे; यदि महिलाएं, हरिजन, और आदिवासी नहीं चुने जायेंगे और सहयोगी सदस्यों से सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व रखा है इसके लिये जो आपने प्रावधान रखा है उसके अनुसार होंगे; यह ठीक है कि हम लोगों की विचारधारा है, हम सहकारिता के सिद्धान्त को मानते हैं लेकिन सहकारिता का सिद्धान्त इस रूप में स्वेच्छा से हो। आपने इसके लिये कानून बनाया है, कानून बनाने का आपका सिद्धान्त है वह भी हम समझ सकते हैं। आप सहकारिता कानून के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

द्वारा लाना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो फर्क करें कि जो नाम मात्र की हैं उनको न मानकर जो सफल हैं उनको मानें, लेकिन आप तो नाम-मात्र की जो हैं उनको भी मानेंगे और जो सफल हैं उसको भी मानेंगे; अभी आप अच्छी तरह से शुरूआत नहीं कर पाये। सहकारिता के सिद्धान्त को यदि लाना चाहते हैं और दरअसल में सहकारिता के सिद्धान्त को सफल बनाना है तो कुछ फर्क दोनों में रखना चाहिये। केवल नाम मात्र की सहकारी समितियों को प्रतिनिधित्व मिल जाय और जो सफल हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिले और दोनों को समान रूप से मिले तो समझता हूं यह उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह गंभीरतापूर्वक विचार करे।

प्रमुख का कार्यकाल आपने ५ वर्ष का रखा है इसलिये मैं सरकार से पुर-जोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको प्रधान का कार्यकाल भी ५ साल का रखना चाहिये। जिला परिषद् के सभी सदस्य, डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट ऑफिसर, सरपंच और विकास पंचायत और न्याय पंचायत के सरपंच होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो सकी, मेरे ख्याल से यह सरकार की बड़ी भारी भूल है कि विधेयक को लाने के पूर्व सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट विधान सभा के सदस्यों को कम से कम तीन चार दिन या पांच दिन पहले वितरित होनी चाहिये थी। केवल दो दिन पूर्व ही रिपोर्ट अंग्रेजी में मिली और हिन्दी में एक संक्षिप्त, छोटा सा, प्रकरण उसी समय दो या तीन दिन पहले बांटा गया। यदि सच बात पूंछी जाय तो ऐसे गंभीर विषय का मेरा अध्ययन नाममात्र का है, खाली सरफेस रीडिंग कर पाया हूं, गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर सका। इस सदन को अधिकार था कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट सदन में आती, बहस होती। सदन में बहस होने के पश्चात् विधेयक के रूप में लाते, डॉक्यूमेन्ट के रूप में लाते और उस पर विचार किया जाता तो उत्तम होता।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं हमारी जो बेसिक इकाई या बुनियादी इकाई पंचायत है उसका भी सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख है। पंचायत का काम कहीं भी सुचारू ढंग से हो नहीं पाया, पंचायतें जम नहीं पाईं, इस संबंध में भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और पंचायतों के आय के साधन के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये। केवल मात्र यही कह दिया जाय कि पंचायतें आम टैक्स लगावें और टैक्स लगाकर ही स्वावलम्बी बनें, मैं कहता हूं यह सिद्धान्त अनुचित है। मत भिन्न आपका और हमारा तो है ही लेकिन सिद्धान्ततः मैं अपने विचार व्यक्त करना अपना फर्ज समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के अंदर अधिकारियों की भरमार है। बी. डी. ओ., प्रसार अधिकारी, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, पी. डब्ल्यू. डी. और सहकारी विभाग के अधिकारी अलग अलग हैं। मेरे ख्याल से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह एक अरण्य रोदन सा हो गया है। इनमें से बहुत से अधिकारियों में सहकार और सहयोग की भावना का अभाव है। निर्माण कार्य और विकास कार्य में अनुचित रूप से ये लोग दखल करते हैं। युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट देने में अड़चन डालते हैं, एसेसमेंट से ढिलाई करना आदि ऐसी सभी बातें जो हैं उनको लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों की ढिलंगाई के संबंध में भी सरकार को उचित रूप से विचार करना चाहिये और कम से कम एसेसमेंट करने और युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट देने की अवधि मुकर्रर करनी चाहिये। यदि वे युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो सरकार को कुछ न कुछ इस संबंध में प्रावधान रखना चाहिये कानून की दृष्टि से। इसके लिये कर्मचारियों का जवाब लेने की व्यवस्था करना परम आवश्यक हैं।

जिला परिषदों को भी मैं समझता हूं अधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। विकेन्द्रीकरण को सफल करने के लिये जितनी पंचायतों को सार्थक बनाने की आवश्यकता हैं उतनी ही मेरे ख्याल से जिला परिषदों को भी मजबूत और सुचारू ढंग से व्यवस्थित रूप से काम करने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

हमारे डूंगरपुर जिले में "ग्राम दान" नाम की एक योजना लागू की गई है........

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): सब जगह पर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सब जगह पर है तो डूंगरपुर जिले में भी है।

माननीय मंत्री कहते हैं तो ठीक ही है। मैं समझता था कि अमुक क्षेत्र में आदिवासियों की बस्ती है वहां पर है, सारे राजस्थान में लागू नहीं की गई है। जो ग्रामदानी ग्राम हैं यदि ५ आदमी ग्रामदान योजना में आते हैं या १० आदमी आते हैं तो उनमें से भी एक आदमी चुनकर पंचायत समितियों की बैठक में प्रतिनिधित्व ग्रामदानी ग्रामों का करेगा। पंचायत समितियों ने उनको प्रतिनिधित्व देने का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन यदि एक हजार व्यक्ति ग्रामदानी ग्रामों में निवास करते हैं उनका प्रतिनिधित्व करे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि ५ आदमी ग्रामदान करें और उनको इस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाय, जिला परिषद् और पंचायत समितियों के मिनिट्स में उनका नाम लिखा जाय और यह पूछा जाय कि उनको मतदान का अधिकार है या नहीं, इस संबंध में भी व्यवस्थित ढंग से कलेक्टर द्वारा सूचना नहीं मिले यह भी गुम-सुम व्यवस्था है। आपके कानून के विपरीत महानुभावों को बुलाकर पंचायत समितियों में सम्मिलित किया जाता है वह अनुचित होने के कारण मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। चुनाव के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि यदि आप नवम्बर या दिसम्बर में चुनाव कराना चाहते हैं, जैसा कि मैंने सुना है, तो आप करायें किन्तु वर्षा का हाल देखते हुए खास करके हमारे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उदयपुर क्षेत्र के अन्दर जहां पर नदियों के ऊपर पुल नहीं हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, सड़कें भी हैं तो जहां टूटी हैं, वहां आप मुश्किल से बना सकेंगे, ऐसी स्थिति में आपको तो चुनाव लड़ने में होने वाली असुविधाओं की परवाह नहीं है। रावला घोड़ा बावला असवार, आपके पास तो जीप वगैरह हैं, जीप वगैरह के साधन को आप काम में ले सकते हैं........

श्री रामकिशन : बावला असवार आप मंत्रीजी के लिए कह रहे हैं या बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बावले हुए हैं इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पुरानी कहावत हो गई है, साहब!

श्री रामकिशन : बाकी के लोगों को तो नहीं कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि खासकर नवम्बर में चुनाव कराते हैं तो उत्तमोत्तम योजना विरोधी पक्ष की जीपों को तोड़ने की होगी। इसलिए दिसम्बर या जनवरी तक चुनाव करायें तो सड़कें ठीक हो जायेंगी, नदियों के पुल ठीक हो जायेंगे और चुनाव के समय में विरोधी पक्ष को भी कुछ इस रूप से अवसर मिलेगा कि आपका मुकाबला कर सकें........

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायतों में आप चुनाव लड़ें या नहीं तो कोई बात नहीं; यों ही आने दें पंचायतों में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और सदन का विशेष समय न लेकर इन्हीं कारणों से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ हमारे सामने है, अच्छा तो यह होता कि हमारी सरकार सादिक अली कमेटी की रिकमन्डेशन को मानकर एक होल-सम अमेंडमेंट बिल हमारे सामने लाती। इसमें दो राय नहीं है कि इतना समय नहीं मिला कि इसको अच्छी तरह से पढ़ा जाय और पढ़ने के बाद अपनी राय दी जाय। मगर मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने इस विधेयक के स्टेटमेंट एण्ड रीजन्स में कारण दिया है कि हमारी सरकार नवम्बर दिसम्बर में चुनाव कराना चाहती है—इसलिए दूसरे पहलुओं पर नहीं जाकर जो बोर्ड ऑफ इलेक्शन है, जिसे सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट में तब्दील करने के लिए रिकमन्ड किया है, उसको मानने के बाद यह अमेंडमेंट

(श्री केदारनाथ)

बिल सरकार लाई है। मान्यवर, आज सारे देश में दो विचारधाराएं हैं—एक तो यह जो गांधीजी ने कन्सेप्ट दिया, पंचायत और पंचायत समिति राज्य की यूनिट हों वह सेल्फ सफीशियेन्ट यूनिट हों एवल इन इटसेल्फ हों जैसी पुराने वक्त में हुआ करती थीं और उन्होंने एक ग्रामदान की फिलॉसफी दी है, दूसरी यह कि देश का इण्डस्ट्रीलाइज़ेशन करना है और मूवमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीलाइज़ेशन के बेसिस पर देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करनी है। इन दोनों में फर्क है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमारे स्टेट की पॉवर्स क्या हैं और बहुत सी जो यूनिट हैं स्टेट की, उनको वह कहां तक मजबूत कर सकती है। मान्यवर, हमने एक टेन्डेन्सी देखी है-प्रजातांत्रिक पद्धति से जो कॉन्स्टीट्यूशन लागू हुआ देश में उसमें हमारी सरकार का फेडरल करेक्टर है, लेकिन हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट धीरे-धीरे स्टेट्स की तमाम शक्ति अपने हाथ में लेती जारही है। हम सही तरह देखें तो मालूम होगा कि जो प्लानिंग कमीशन है, वह देश की सबसे बड़ी पॉवरफुल बॉडी है। स्टेट्स को जो प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज़ का एलोकेशन होता है वह प्लानिंग कमीशन करता है। इसके साथ ही जो फाइनेन्स मिनिस्ट्री है सेन्टर की, उसका स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल है। स्टेट्स की जो मिनिस्ट्री हैं उन पर सेन्टर का होल सम कन्ट्रोल है। यही नहीं, हमने कलेक्टोरेट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखा है वह आई. पी. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर्स के हाथ में है जिनका सीधा सीधा एलीजेन्स लोयल्टी और सेन्टर में हैं और नेशनल इन्टिग्रेशन के नाम पर सर्विसेज़ का इन्टिग्रेशन करना चाहते हैं। एक तरफ तो यह टेन्डेन्सी चलती आ रही है, सेन्टर पॉवर को सेन्ट्रलाइज़ करता आ रहा है हम इस बात को मानते हैं। मान्यवर, जो फंडामेंटल इश्यू हैं देश के अन्दर-सीक्योरिटी का मामला है, इन्टिग्रेशन का मामला है, डिफेन्स का मामला है, इनके सम्बन्ध में सेन्टर के पास पॉवर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देश के अन्दर जो समाजवादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं और समाजवादी व्यवस्था की जो बेसिक इकाइयां हैं, जिन्हें हम मुकर्रर करना चाहते हैं उनके लिए चाहते हैं कि फंडामेंटल इश्यू के बारे में पूरी फ्रीडम दी जाय, इन्सेन्टिव दिया जाये, पूरी पॉवर दी जाय। जब तक यह कन्सेप्शन साफ नहीं होता है तब तक मोड ऑफ इलेक्शन में तब्दीली लाने का प्रयत्न नहीं होता है। मान्यवर मोड ऑफ इलेक्शन में अमेंडमेंट इसलिए लाना चाहते है कि जो समाज है, जो रूरल एरिया है उसमें कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, सोशल चेंज लाना चाहते हैं। राजस्थान में जो पंचायत राज्य कायम हुआ, उसे हम देखें—पंचायतों के फंक्शन के बारे में, पंचायत समितियों के फंक्शन के बारे में, जिला परिषदों के फंक्शन के बारे में और इनकी पॉवर्स और रिसोर्सेज़ के बारे में दिल में विचार आते हैं, अभी जो सादिकअली कमेटी का गठन हुआ, उसके ऊपर करीब २५, पचास हजार रुपया खर्च हुआ और डेढ़ दो साल में जो रिपोर्ट दी, उस पर ध्यान देने के बाद, उसकी सारी रिकमन्डेशन्स को मानने के बाद या किसी हद तक उसकी रिकमन्डेशन्स को मानने के बाद एक कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी, लेकिन

(श्री केदारनाथ)

वह नहीं लाया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों में आज भी जो सेकशान्स दबे हुए हैं, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं उनमें क्या हम पंचायत राज्य कायम करके नई स्ट्रेन्थ पैदा कर सके हैं, क्या उनमें हम कांशसनेस पैदा कर सके हैं और जैसा हम कहते है, क्या हम डेमोक्रेटिक सेट-आप के अन्दर डवलपमेंट के कामों में पीपुलस पार्टीसिपेशन पैदा कर सके हैं ? जैसा हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेट-अप के अन्दर आज पीपुल पार्टीसिपेशन होता है, हर एक आदमी पंचायती राज्य में दिलचस्पी लेता है, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ विलेजों में लीडरशिप पैदा कर इस चीज को अपने हाथ में लिया है। लेकिन मैं देखता हूं कि इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं कर सके हैं । हमने इलेक्शन के रिजल्ट देखे हैं । आज जो प्रधान बनते हैं, वे वह बनते हैं जिनकी आबादी २५ फीसदी है, और जो ७५ फीसदी लोग हैं वे उनके हाथ में हैं। हम यह चीज देखते हैं, जिनके हाथ में जिले की लीडरशिप है, जिनके हाथ में पंचायत की लीडरशिप है, जिनके हाथ में करबे की लीडरशिप है वह इन २५ फीसदी के हाथ में है। तो इस इन्डीविजूअल लीडरशिप के नाम पर पंचायती राज्य कायम किया है, उसके अन्दर हम देखते हैं कि जो चालीस, पैंतालीस परसेन्ट बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा हुआ सेक्शन है, नेगलेक्टेड सेक्शन है वह पंच तक अपने को पहुंचा सका है। उसने पंचायतों के इलेक्शन लड़े हैं और कहीं कहीं सरपंच तक जा सका है। आज की पद्धति में, जो सादिक अली कमेटी की रिकमन्डेशन हैं, सुधार करने के लिए रिकमन्डेशन दी हैं और जो पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् एक्ट है, उसके अनुसार पंचायत समिति तो पॉवरफुल है लेकिन पंचायतें पॉवरफुल नहीं हैं और वह होनी चाहिये । इसलिये सादिक अली कमेटी ने रिकमन्ड किया है कि पंचायत समिति के प्रधान का इलेक्शन कैसे हो, मोड ऑफ इलेक्शन कैसा हो। इस पर रूरल इकॉनॉमी भी डिपेन्ड करती है और डेढ़ पौने दो करोड़ जन-जीवन पर भी असर पड़ता है । पिछली बार जो चुनाव हुए उनमें प्रधानों के इलेक्शन में सरपंच हिस्सा लेते थे। अब जो अमेंडमेंट लाये हैं उसमें पंचों को भी शामिल कर दिया है । उसके बाद न्याय पंचायतों को मौका दिया है वे इलेक्टेड मेम्बर को भेज दें और वह भी हिस्सा लेगा । पंचायतों के चुनाव में हमारा मकसद है कि इलेक्शन सीधा सादा हो और कम खर्चीला हो। हम देखते हैं कि पहले प्रधान को सरपंच चुना करते थे, अब पंच भी चुनेंगे, तो पहले जहां पच्चीस तीस आदमियों को इकट्ठा करना पड़ता था वहां अब तीन सौ आदमियों को इकट्ठा करना होगा और फिर चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि जो आम और साधारण कार्यकर्ता हैं, जो बेकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, उनके लिए प्रधान का इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा। और अगर वे पंचायत समिति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि रूरल इकोनॉमी के हित में यह हो सकता है। इसलिए मोड ऑफ इलेक्शन में लाजिमी तब्दीली करनी पड़ेगी। इसलिए यह मेरी मांग है और मेरी नहीं यह

(श्री केदारनाथ)

सबकी मांग है कि यदि आप चाहते हैं कि पंचायती राज्य मजबूत हो, आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की छोटी से छोटी इकाई मजबूत हो, पॉवर का डिसेन्ट्रलाइज़ेशन हो और नॉन फंडामेंटल इश्यूज़ पर और ज्यादा ताकत और ज्यादा शक्ति मिले तो प्रधान जो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है उसका डाइरेक्ट चुनाव हो । आप डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को मानते हैं, नई नई कीमतां और नये नये मूल्यों को पैदा करना चाहते हैं तो मोड ऑफ इलेक्शन को इस प्रकार मत कीजिये । यह ज्यादा खर्चीला होगा, ज्यादा खर्चीला होने के साथ साथ कास्ट का नारा लगेगा, जिनके पास जमीनें हैं, दौलत है, साधन है वे लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और वे लोग इलेक्शन्स में जीतेंगे । कास्ट के नाम पर लोग वोट मांगते हैं । जब तक लोगों के अन्दर इस प्रकार की अवेकनिंग पैदा नहीं की जाती । जब तक लोगों की इकॉनॉमिक लाइफ में चेन्जेज़ नहीं आते जिससे की लोग, मैं किस कास्ट को बिलोंग करता हूं, इस प्रकार सोचना बन्द कर दें तब तक कास्ट बेसिस पर इलेक्शन लड़ना बन्द नहीं होगा ।

मोड ऑफ इलेक्शन्स को अलग ले लें, अपनी इकोनॉमिक कन्डिशन्स को अलग ले लें तो यह कह देना कि कोई पार्टीज़ इलेक्शन्स में भाग नहीं लें, गवर्निंग पार्टी भी नहीं लेगी, यह कहां तक इम्प्लीमेंट होगा यह हम अच्छी तरह से जानते हैं । हमने इलेक्शन्स देखे हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ के इलेक्शन्स हुए, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन्स के बारे में ऐलान किया कि हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर इलेक्शन्स में सबने हिस्सा लिया, किसी ने टिकिट दिये, किसी ने अन्दरूनी साथ दिया और चेअरमेन का चुनाव हुआ तो कह दिया कि हमारी पार्टी का चेअरमेन है । रूलिंग पार्टी ऐलान कुछ करती है और व्यवहार कुछ और ही करती है । तो यह पाबन्दी लगाना कि पोलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, उस हालत में जब कि आज कॉम्युनिटी इकॉनोमी में, फेडरल करेक्टर में इन्रोड्स पैदा हो रही हैं, कतई उचित नहीं होगा । जब इकॉनोमिक कन्डिशन्स सुधर जायेंगी, लोगों में थिंकिंग फ्री हो जायगी उस समय लोग अपने आप सोचने लग जायेंगे कि सही मानें में उनके वोट का हकदार कौन है । आज हर बात पर पक्षपात हावी है, नौकरशाही हर बात पर हावी है, चारों तरफ गरीबी छाई हुई है, फेमोन की हालत के बावजूद भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, आम लोगों के इस प्रकार के हालात से वे लोग ही फायदा उठायेंगे जिनके हाथ में सता है, जिनके पास पैसा है, जमीनें हैं और हर प्रकार के साधन हैं । इन हालात में मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विचार सरकार के कभी सफल हो सकेंगे । मुझे इसके सफल होने में पूरी तरह से शंका है, इसलिये मैं यह राय पेश करता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की बॉडी मजबूत हो तो प्रधान के चुनाव डाइरेक्ट कराने चाहिये । जिस प्रकार सरपंच के, पंच के चुनाव कराते हैं उसी तरह प्रधान और प्रमुख के चुनाव करा सकते हैं, उसी प्रकार प्रधान और प्रमुख के बॉक्सेज़ रख सकते हैं और यह हर एक को

(श्री केदारनाथ)

इजाजत होनी चाहिये कि जो जो भी पंचायन कॉन्स्टीट्युएन्सी में रजिस्टर्ड वोटर हैं वह प्रधान और प्रमुख के चुनाव लड़ सकता है। अभी मौजूदा सिस्टम इसके चुनाव का है वह नहीं होना चाहिये। हर एक रजिस्टर्ड वोटर यह चुनाव लड़ सकता है, इस प्रकार का प्रावधान रहना चाहिये, इस पर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये।

दूसरे इसमें आपने एम. एल. एज़. के ऊपर पाबन्दी लगाई है कि एम. एल. एज़. यह चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर सरकार की यह राय है कि एम. एल. एज़. के पास इतना अधिक काम है, इतने अधिक वे कार्य-व्यस्त रहते हैं कि वहां वह उस पद की जिम्मेदारियां निभाने के लिये टाइम डिवोट नहीं कर सकते तो मैं यह कहना चाहूंगा कि साल में दो बार विधान सभा का सेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा दो-तीन महीने का सेशन पीरियड रहता है, उसके बाद वे फ्री हैं। उनको वहां का काम करने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। पर वास्तव में सरकार को इसमें चिन्ता है कि एम. एल. एज़. अपने इस प्रभाव का, लियाकत का फायदा नहीं उठा लें और अपना इन्फ्लुएन्स क्रियेट नहीं कर लें, इसलिये एम. एल. एज़. और एम. पीज़. को इस चुनाव से डिबार करना चाहती है, तो यह गलत चीज होगी। इन चुनावों में आज तक कई एम. एल. एज़. चुने गये हैं और वे काम कर रहे हैं, उनको डिबार करना गलत होगा। आप चाहते हैं कि एम. एल. एज़. को डिबार करने से, एम. पीज़. को डिबार करने से, पोलिटिकल पार्टीज़ को डिबार करने से इलेक्शन ठीक होगा, यह गलत है। होना तो यह चाहिये था कि एम. एल. एज़. ही वहां प्रधान का काम करें, वरना एम. एल. ए. बनने के बाद देहाती इलाके में सिवा इसके कि असेम्बली में बोल ले, उसका कोई वजूद नहीं रहता, कोई एग्ज़िस्टेन्स नहीं रहती। एम. एल. ए. बनने के बाद पंचायतों में, पंचायत समितियों में उसका कोई एग्ज़िस्टेन्स नहीं रहता है, यदि उसकी बात नहीं मानी जाती है तो मेरे ख्याल से यह लंगड़ी डेमोक्रेसी होगी। इसलिये मैं आखिरी बात यह कहता हूं कि पार्टीज़ पर इन चुनावों को न लड़ने की पाबन्दी लगाना, एम. एल. एज़. ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, इस प्रकार की पाबन्दी लगाना, आम वोटर प्रधान के इलेक्शन के लिये खड़ा नहीं हो सकता, यह गलत चीजें हैं। यदि सामूहिक तरीके से हारमोनी, आपस में कोऑर्डिनेशन का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो इन सब पाबन्दियों को हटाना पड़ेगा ताकि दबी हुई कॉम्युनिटीज़ आगे आयें और हर आदमी चुनाव लड़ सके। मैं समझता हूं आपको लाजिमी तब्दील लानी पड़ेगी।

हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था की बात करती है पर आज हम इन्डस्ट्रियल युग में चल रहे हैं, आज इन्डस्ट्रीज़ का युग है, गांधीजी सेल्फ सफिशियेन्ट यूनिट गांव का चाहते थे, आज के इस इन्डस्ट्रियल युग में सेल्फ सफिशियेन्ट यूनिट गांव का नहीं हो सकता। जब नेचुरल इकोनॉमी थी उस समय यह हो सकता था, पर आज के जमाने में हम नहीं सोच सकते कि विलेज सेल्फ सफिशियेन्ट यूनिट हो। आहिस्ता आहिस्ता स्टेट में

(श्री केदारनाथ)

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर इन सारी एजेन्सीज़ की मार्फत काम करें तो डेमोक्रेटिक कन्सेप्शन हमारा पूरा हो सकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रमुख और प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट हो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या प्रधान और प्रमुख का चुनाव सारे के सारे वोटों से हो ?

श्री केदारनाथ : जी।

श्री भीखाभाई : मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने फरमाया कि जिला परिषद् में प्रमुख का और पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट हो, जिला प्रमुख का चुनाव सारे जिले से हो तो क्या यह मान कर चलें कि एक जिले के अन्दर १७, १८ तहसीलें हैं, जहां से कभी कभी दो दो संसद सदस्य चुन कर आते हैं, तो क्या यह जनरल इलेक्शन की तरह की चीज चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ : जब हम चुनाव कराते हैं तो पंचायत समिति के डाइरेक्ट चुनाव होते हैं, उसी तरह प्रमुख और प्रधान के डाइरेक्ट चुनाव हों। आप डेमोक्रेसी को कन्फाइन क्यों करना चाहते हैं कि बहुत लम्बे चुनाव हो जायेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि आम लोग इसको सीखें, आम लोगों में डेमोक्रेटिक स्पिरिट पैदा हो तो मैं समझता हूं इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। एक तो ५२ के चुनाव थे, आज १२ साल बाद बड़ा फर्क वोटर के दिमाग में आया है, आज वह सब कुछ जानता है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपना मत और अपनी मांग प्रस्तुत करता हूं कि प्रधान का चुनाव और प्रमुख का चुनाव डाइरेक्ट हो। पोलिटिकल पार्टीज़ और एम. एल. एज़. पर जो पाबन्दी लगाई गई है वह वेलिड नहीं की जा सकती, वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर जनमत जानने के लिये और प्रवर समिति में भेजने के लिए संशोधन प्रस्ताव आये हैं जिनमें से १६ और शेष हैं। माननीय सदस्य जितना सीमित बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा ताकि कार्यवाही समय पर समाप्त हो सके।

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) :

[प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल पर जनमत जानने के लिए प्रसारित करने हेतु मैंने प्रस्ताव किया है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जैसा कि अभी अभी माननीय सदस्य ने पंचायत समिति, जिला परिषद् और पंचायतों को ज्यादा पॉवरफुल बनाने के लिए और किस प्रकार से इस डिसेन्ट्रलाइज़ेशन से हमारा डवलपमेंट हो, उसके सम्बन्ध में जो विचार रखे हैं उनके विषय में, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा।

जहां तक राजस्थान ने विकेन्द्रीकरण में हिस्सा लिया और विकेन्द्रीकरण के उद्देश्यों को मानते हुए हमारे ग्रामों को विकास की ओर ले जाने के लिए जो जो कानून हमारे यहां लागू किये हैं, उनमें कुछ न कुछ कमियां रह जाने की वजह से यह संशोधन बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से इससे पूर्व पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को किस प्रकार अधिक प्रभावशाली बनाई जा सके, उसके लिए सुझाव देने हेतु सादिकअली कमेटी का निर्माण किया था और उस कमेटी ने अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं। उन तमाम सुझावों पर विचार न करके, आज हम चुनाव के सम्बन्ध में उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर ही विचार कर रहे हैं। इस तरह से इस कमेटी के मामूली सुझावों पर ही आज हम विचार कर रहे हैं। चाहिये तो यह था कि सादिक अली कमेटी ने जो भी सुझाव दिये हैं उन सब पर विचार करके संशोधित बिल रखा जाता ताकि पंचायत राज में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर किया जा सके।

जैसा अभी पहले कहा गया कि नवम्बर और दिसम्बर में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव आ रहा है, उनमें किसी प्रकार की कठिनाइयां न हों, और सादिक अली कमेटी ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं उनको लागू किया जा सके, इस वजह से यह संशोधन यहां पर लाया गया है। हमारा यह मानना है कि जब तक पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पॉवरफुल नहीं बनायेंगे, विकेन्द्रीकरण का जो नारा लगाते हैं और पॉवर को नीचे से नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकते। पंचायतों का जहां तक सवाल है, पंचायतों की हालत यह हो रही है, कि काम भी अच्छा नहीं चल सकता। पंचायतों की आर्थिक हालत किस प्रकार की है यह आपसे पोशीदा नहीं है और जिस प्रकार से वे काम चलाती हैं, वे उनको पूरा नहीं कर पाती हैं और तमाम की तमाम पॉवर पंचायत समितियों को दे दी गई है। इन बातों पर ख्याल करके जब तक पंचायत को पॉवर नहीं देंगे, सही विकेन्द्रीकरण का रास्ता नहीं अपना सकेंगे।

जैसा हमारा नारा है, कि ज्युडिशियरी को और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग अलग कर दें, इससे पंचायतों की हालत और भी खराब हुई है। ग्राम पंचायतें, जिनको विकास का अधिकार दिया गया है, उनको न्यायिक पॉवर नहीं देंगे, तो काम सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पॉवरफुल बनाया जाय ताकि वे अपने क्षेत्र में निर्माण का कार्य कर सकें।

जिस प्रकार पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विषय में कहा गया है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रधान का चुनाव पंच जितने हैं उनके द्वारा और न्याय पंचायत से चुन कर आवेंगे पंच, उनसे होगा। अभी कहा गया कि बहुत खर्चा होगा और उस प्रकार के लोगों को नहीं आने देंगे जो गरीब आदमी हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। उन लोगों को ला सकें इसलिए ऐसा रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव किसी भी प्रकार का रख लें, सरपंच का रखें उसमें भी उतना ही खर्चा होता है, पंच, सरपंच और न्याय पंचायत के सदस्य चुन कर आवेंगे उनसे प्रधान का चुनाव होगा तो उससे खर्चा अधिक होगा और जो खर्चा होगा उसको किसी प्रकार नहीं रोका जा सकेगा। बहुत से महानुभावों ने कहा कि डाइरेक्ट इलेक्शन होगा, तो कम होगा। बहुत सी ऐसी कॉन्स्टीट्युएन्सीज़ हैं, जहां डाइरेक्ट इलेक्ट होकर आवें, और न आवें, तब भी पचास साठ हजार रुपया खर्च होता है। इसलिए जो प्रावधान रखा है वह ठीक प्रतीत होता है। खर्चे का प्रश्न नहीं है। यह तो आदमी के कार्य पर निर्भर करता है। जो कार्यकर्ता काम करता है उस पर निर्भर करता है। पैसे के बल पर कोई आदमी आना चाहता है तो यह बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी चलने वाली नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार से तो मेरी बात समाप्त नहीं होगी। थोड़ा समय तो लगेगा। दूसरा निवेदन है कि पंचायत समिति में एस० डी० ओ० को पदेन सदस्य रखा गया है। तीन चार पंचायत समितियां होती हैं। वह समय समय पर उनकी किस प्रकार से कार्यवाही में हिस्सा ले सकेगा यह सोचने की बात है। इसके बजाय तो यह होता कि जिस तहसील में, जो पंचायत समिति है, उसके तहसीलदार को पदेन सदस्य बनाया होता तो वह उसकी कार्यवाही में अधिक भाग ले सकता था और कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न कर सकता था।

इस प्रकार से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि एम० एल० ए० को एक्स-ओफिशियो मेम्बर मान कर चुनाव से वंचित किया गया है। जो डाइरेक्ट पंचायत, पंचायत समिति से चुनाव लड़ कर आता है उसको आप डिबार कर दें कि वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरा ख्याल है कि यह जो हम डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, उस बात के यह बिलकुल प्रतिकूल होगा। इस बात की बंदिश कतई नहीं होनी चाहिये। हमारी पार्टी की ओर से बंदिश है कि एक आदमी एक पद पर रहे। यह तो स्वयं के सोचने की बात है कि एक पद ग्रहण कर आगे और कोई पद ग्रहण करे या नहीं अथवा एक ही ग्रहण करे। इसलिए इस प्रकार की बंदिश वाजिब नहीं प्रतीत होती है और किसी एम० एल० ए० को प्रधान के चुनाव में खड़े होने से रोकना डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा।

इसी प्रकार से तीन कोऑपरेटिव के सदस्यों को पंचायत समिति में शामिल किया है। तीन कोऑपरेटिव के मेम्बर रखना मेरे खयाल से उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पहले व्यवस्था थी कि एक ही कोऑपरेटिव का सदस्य होगा और उसको वोट देने का अधिकार होगा, वह बात ठीक प्रतीत होती है।

पंचायत समितियों की मियाद इसके द्वारा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल की रखी गई है वह मेरी समझ में ठीक मालूम नहीं होती। छोटी छोटी पंचायतों से पंचायत समितियां बनती हैं। वैसी हालत में जब विधान सभा के सदस्य की मियाद पांच वर्ष की रखी गई है, उनके लिये यह मियाद कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन पंचायतों के साथ यह रख देने से जब कि उनके यहां हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, छोटे छोटे आदमी वोट देते हैं, कई लोगों के हितों पर कुठाराघात होता है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : छोटे आदमी से आपका क्या मतलब है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : गरीब आदमियों से है। इनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अगर इनके लिये यह पांच वर्ष तक की मियाद का प्रश्न कर दिया गया तो, उनको बहुत परेशानी हो जायगी। इससे उन लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके साथ ज्यादा ज्यादती होगी। इसलिये मेरे ख्याल से जो तीन साल की मियाद है वह ज्यादा अच्छी है।

इसके साथ साथ यह भी किया गया है कि प्रधान व प्रमुख का चुनाव भी तीन साल की बजाय पांच साल से होना चाहिये। यह भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तीन वर्ष की अवधि काफी है, उसके बाद में अगर वह चाहे तो पंचायत समिति और जिला परिषद से चाहे तो हट सकता है इस प्रकार की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि हमें जिला परिषद् को इस समय ज्यादा पॉवरफुल बनाने की आवश्यकता है। आज तो जिला परिषद् का काम केवल को-ऑर्डिनेटिंग बॉडी का रह गया है। वह केवल आपसे बातचीत कराने का साधन मात्र रहा है। डवलपमेन्ट विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, कोऑपरेटिव, एनीमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट हैं जितने भी विकास सम्बन्धी विभाग हैं, उनसे ताल्लुक रखता है जिनके जरिये से विकास करना चाहते हैं। ये सब विभाग जिला परिषद् के अन्डर रखे जाने चाहिये। जिस प्रकार की आज सहायता मिल रही है, डिपार्टमेन्ट के लोग पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को जिस प्रकार से सहयोग देते हैं, यह आप सब लोगों को विदित ही है। आज एक विभाग का दूसरे विभाग से किसी प्रकार भी समन्वय नहीं है। जितने भी डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स हैं, जैसे इरिगेशन, एनीमल हस्बेन्ड्री, कोऑपरेटिव ये विभाग ऐसे हैं जिनका सीधा ताल्लुक जिला परिषद् से होना चाहिये।

जिला परिषद् में एक बात और की गई है कि एम० एल० ए० और एम० पी० उसमें नहीं रह सकते, इस प्रकार की व्यवस्था करने से और गड़बड़ी हो जायगी। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति डाइरेक्ट चुनाव लड़कर आये हैं वैसे लोगों को उसमें हिस्सा लेने देना चाहिये....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हिस्सा तो ले सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिला परिषद् के चुनाव के लिये एम० पी० और एम० एल० एज़० खड़े नहीं हो सकते, यह गलत तरीका होगा। लाखों आदमियों से जो चुनकर आता है उसका चुनाव प्रधान या उप-प्रधान की जगह नहीं होता है तो यह गलत है। यह जो व्यवस्था इसमें की गई है यह गलत धारणा से है, इसको हटा देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं इस प्रकार से जिला परिषद् के प्रमुख के लिये यह जो निश्चय किया गया है कि जो आदमी उस जिले का रहने वाला हैं, जिला परिषद् की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वह खड़ा हो सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था प्रधान के लिये होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) :

प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वाद-विवाद हो रहा है वह राजस्थान पंचायत अमेन्डमेन्ट बिल पर हो रहा है। हमारी राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के कार्य संचालन के लिये और उसका आगे क्या स्वरूप हो इस बारे में सिफारिश करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी, उसकी सिफारिशों के अनुरूप यह बिल लाया जा रहा है। इससे राज्य सरकार की मन्शा है कि जो पंचायतों के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर में करने जा रहे हैं वह चुनाव उसी के आधार पर हों। इसमें सिर्फ चुनाव संबन्धी सिफारिश है, उन सिफारिशों को लेकर यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।

सब से पहले इस बिल में यह व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार सहकारी समितियों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं इस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्थायें सहकारिता के प्रसार में सहयोग देती हैं, जिनका सहकार में विश्वास है, उनको पंचायतों में सहयोग देना वास्तव में अच्छी चीज है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं, जो लार्ज स्केल पर सहकारी समितियां हैं, जिनका कार्यक्षेत्र कई पंचायतों तक रहता है। ऐसी लार्ज स्केल सहकारी संस्थाओं के बारे में क्या विचार रहेगा, इसके बारे में स्पष्ट नही है, उसके लिये व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसके अलावा सब से महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि हमें पिछले चुनावों का अनुभव है, उसके अनुसार सरपंच के चुनाव में जो खड़ा हो, उसके लिये पढ़ने लिखने की व्यवस्था रखी है, उसके बारे में निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अलग, अलग ढंग से इसका इन्टप्रिटेशन किया है। इसके कारण जो बेहतर लोग थे, जो सरपंच के काबिल थे, उनको चुनाव तक के लिये योग्य नहीं समझा

(श्री भीमसेन)

गया। सरपंच के पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान है वह आवश्यक है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि जितने भी सरपंच के लिये नोमीनेशन पेपर्स हों, वह सब एक जगह ले लिये जांय। उनकी स्क्रुटनी पंचायत हैड-क्वार्टर पर हो, ताकि कम से कम एक पंचायत समिति में एक ऑफिसर द्वारा एक ही प्रकार का निर्णय हो सकेगा। उसका जैसा भी किसी प्रकार का डिस्क्रीशन होगा वह एक पंचायत क्षेत्र में एक ही तरह का रहेगा। पिछले चुनावों में, इस प्रकार की शिकायत भी आई हैं, कि इसके लिये करप्ट प्रेक्टिस हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रकार से कई नोमीनेशन पेपर्स खारिज किये गये हैं। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं कि एक पंचायत क्षेत्र में जितने भी नोमीनेशन पेपर्स हों, वे एक हो अधिकारी द्वारा स्क्रुटनी होकर तय हों तो इसमें सुधार हो सकता है।

पंचायत समिति के गठन के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं उसके अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र में, अभी जो प्रधान के चुनाव की व्यवस्था की जा रही है, उसके अनुसार उसका इलेक्टोरल कॉलेज ब्रोड होगा। इससे क्या होगा ? ग्रुपबन्दी बहुत बढ़ जायेगी। जिस ग्रुप का प्रधान होगा, उनके यहां तो काम हो जायगा और जो उसको वोट नहीं देंगे उनके यहां के विकास में बाधायें पैदा होंगी। इसका चुनाव क्षेत्र विस्तृत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ जो प्रधान के चुनाव के लिये विधान सभाई सदस्य खड़ा नहीं हो सकता, यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, इसका मैं समर्थन नहीं करना चाहता। विधान सभाई सदस्य जनता का सीधा प्रतिनिधि है। उसको अपने इलाके के बारे में नॉलेज होती है। वह वहां का सही प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसको प्रधान के चुनाव लड़ने से वंचित रखते हैं, तो वह उचित नहीं है। विधान सभाई सदस्य सारे इलाके का नुमाइन्दा होता है। वह वहां के विकास के कामों में रूचि रखता है। उसको वोटिंग के राइट से वंचित किया जाता है, तो विकास के काम में बाधा पहुंच सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभाई सदस्य को हक होना चाहिये कि वह भी चुनाव लड़ सके अपने क्षेत्र की प्रगति के बारे में सुझाव दे सके। इसके अलावा प्रधान और प्रमुख के चुनावों की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिये इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जा रहा है। यह अच्छी बात है। अच्छी शुरुआत है। इससे बहुत से क्षेत्रों की लीडरशिप सामने आवेगी।

लेकिन प्रमुख के चुनाव के बारे में ढाई साल की अवधि रखी है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि अविश्वास के प्रस्ताव की जो व्यवस्था २ बटे तीन के बहुमत की है, उसके स्थान पर साधारण बहुमत रख दिया जावे। इससे ढाई साल की रखने की जो मंशा है वह पूर्ण हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि

(श्री भीमसेन)

जिला परिषद् का जो विधान रखा है, उसमें चेयरमेन सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि को स्थान दिया है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लैंड मोरगेज बैंक हैं उनके चेयरमेन को भी स्थान दिया जाय। विकास के लिहाज से और प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिहाज से लैंड मोरगेज बैंक का प्रतिनिधि अगर सदस्य के रूप में आवेगा तो अच्छी बात होगी।

इसके अलावा यह भी यहां कहा गया कि प्रमुख और प्रधान के चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिये। अब शनैः शनैः कदम उठाया है। पहले इनका चुनाव सरपंचों के द्वारा होता था। अब इनके लिये अलग इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है। तो एक कदम आगे बढ़े हैं। आगे जाकर ऐसी व्यवस्था हो सकेगी कि डाइरेक्ट इलेक्शन भी हो जाय तो अच्छा है। पर इस बीच इस समय मेरा इस सम्बन्ध में, एक सुझाव यह है, कि आपने जो प्रधान पद के लिये चुनाव में, उम्मीदवार मेम्बरों में से ही रखा है, इसके बजाय पंचायत समिति क्षेत्र का कोई भी वोटर प्रधान का चुनाव लड़ सके, ऐसी व्यवस्था अभी ही हो जानी चाहिये। इसके बाद धीरे धीरे इस काम के तजुर्बे से लाभ उठाकर डाइरेक्ट इलेक्शन तक आ सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रस्तुत किया जावे, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री भीखाभाई : प्रस्तुत किया जावे ?

श्री रामकिशन : प्रस्तुत नहीं, प्रस्तावित किया जावे, यह आपने शुद्धि कराई इसके लिये धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जिस तरह से इसमें संशोधन करने का इरादा रखती है, यह उसका अधूरा और बेबुनियादी प्रयत्न है। एक तरफ तो हमारे सामने सादिकअली कमेटी की लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है जिसमें....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप दिसम्बर में चुनाव कराना पसन्द करते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ एक मुश्किल यही है। सांचोर में बाढ़ आ रही है, इनको वहीं भेज दिया जाय तो अच्छा हो।

आप (श्री बिश्नोई) उनसे (मिनिस्टर) पूछिये।

Page No. 70

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपकी क्या मान्यता है ? आप तो अपनी कहिये ।

श्री रामकिशन : हमारी तो एक ही मंशा है, एक ही मान्यता है कि यह भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार अपने पदों से हट जावे और हम उन पदों पर आ जावें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो नहीं होगा ।

श्री रामकिशन : जब आप हमारी मंशा और मान्यता जानना चाहते हैं तो फिर उसको मानिये न ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक तो हमारी यह सरकार अपने विषय के निपुण विद्वान् लोगों के द्वारा रिपोर्ट तैयार कराती है काफी खर्चा करके और वे रिपोर्ट काफी बड़ी और महत्व की होती हैं । पर उन बड़ी और महत्व की रिपोर्टों को दो घंटे पहले हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको पढ़ लो, ले जाओ । तो इस बारे में पहला एतराज तो मेरा यह है कि प्रभारी मन्त्री इसे वापिस ले लें इस समय और सदस्यों को मौका दें कि इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर दी गई लम्बी-चौड़ी रिपोर्टों को पूरी तरह से पढ़ें, उनका अध्ययन किया जाए और फिर अपने विचार स्थिर करें उस पर और यहां उनको व्यक्त करें, अपनी कीमती राय दें और इस कानून को सुन्दर बनावें । तो इस के पढ़ने में, मेरी बात तो नहीं, मन्त्रीजी ने स्वयं ने इसके तीस पेज भी नहीं पढ़े होंगे अभी तक ।

श्री भीखाभाई : आपने छोटी पढ़ी होगी ।

श्री रामकिशन : जब छोटी ही पढ़नी थी, तो बड़ी दी क्यों ? उसे छपवाया क्यों ? इस सरकार के बारे में तो यह भी कहना बेकार है । लगातार इस सरकार को कहते रहते हैं कि हमारे यहां मुश्किल से पचास हजार लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी लिखते, समझते हैं । अंग्रेजी सही भी नहीं,वे तो गलत अंग्रेजी लिखते समझते हैं ! मैंने इस रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को पढ़ा है । इसमें कई शब्दों को तो स्पेलिंग भी गलत हैं और कई जगह जो अर्थ लगाना चाहिये उसमे उल्टा लगाया है या गलत लगाया है । तो इस अंग्रेजी से वे पूरे स्वयं वाकिफ नहीं, परन्तु हिन्दुस्तान के कुछ निहित स्वार्थ वाले इसे पकड़े हुए हैं इस इरादे से कि न तो सदन के अधिकांश सदस्य उनकी समझ पावें, न उनके कारनामे समझ देख पढ़ पाये, न जनता इस सरकार के निर्णयों को जान पावे, जो यह अन्याय करती है उसे समझ पावे और लम्बे से लम्बे काल तक वे जनता की छाती पर बैठे रहें, अन्याय, अत्याचार करते रहें, इसके लिये गुप्त और जन्तर मन्तर वाली भाषा का वे प्रयोग करते हैं । अगर राजस्थानी में ये ही सारी चीजें, अगर हिन्दी में होतीं, या राजस्थानी में होतीं, तो राजस्थान की करोड़ दो करोड़ जनता और लाखों मतदाता अपनी जिला परिषदों, पंचायतों आदि के बारे में, उसके कार्य-कलापों को, उनकी सफलता असफलता को समझ पाते, उस का गहन अध्ययन कर पाते । पर यह सरकार मतदाता को यह सारा जानने देने से घबराती है, डरती है । उसको डर है कि कहीं जनता उनके षडयन्त्रों, अन्याय, अत्याचारों और जन विरोधी काली

(श्री रामकिशन)

करतूतों से परीचित न हो जाय और परिचित होकर उसे उलट न दे। पर हम लोगों को थोड़ा सन्तोष दिलाने के लिये छोटी सी हिन्दी वाली किताब दे दी और कहते हैं इसे पढ़ लो, इसमें यह यह सिफारिश है। मैं यकीनन कहता हूं कि इसको न प्रभारी मन्त्रीजी ने पढ़ा है, न विधि मन्त्रीजी और विधि सचिव ने ही पढ़ा है। डिपार्टमेन्ट के लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और पढ़कर यह कानून बनाकर रख दिया और फिर यह बिल भी अधूरा आया है। जिस मंशा से सरकार ने यह अध्ययन दल बिठाया था, वह मंशा इस कानून में नहीं आ सकी है। जिस तरह से राजस्थान में पंचायती राज की प्रगति का माप दण्ड इसके जरिये हम देखना चाहते थे और जिस उद्देश्य इसका गठन किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति यह कानून नहीं करता।

दूसरा मेरा निवेदन है कि केवल जिला परिषद् और पंचायत समिति में ही इस तरह से संशोधन लाने से पंचायती व्यवस्था को राजस्थान में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायत समिति ने तो, दस प्रतिशत ने, प्रभावशाली ढंग से काम किया है। बाकी पंचायतें और जिला परिषदें तो या तो कर ही नहीं पाई हैं या जो थोड़ा बहुत कर पाई भी हैं तो नगण्य है। तो जब प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाई, जो कि इस सिस्टम का मापदण्ड है, तो जब जब ऐसे सुझाव आवें कि जिससे वे प्रभावशाली ढंग से काम कर सकें तो सरकार को और हमको उन पर बहुत गहराई से सोचना चाहिये और उनका अध्ययन करके अपनी सम्मति बनानी चाहिये। सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देना और सहकारी विभाग को इसके साथ जोड़ देना और इस तरह से विस्तृत सुझावों में से केवल एक दो आइटमों को इस बिल में जोड़ देने से और बाकी पर कोई ध्यान न देने से ये कठिनाइयां दूर नहीं होंगी और प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पावेंगे। जो रिपोर्ट में कहा गया है उस सब को कार्य रूप में परिणित करना है तो हमें उसका उचित ढंग से उपयोग करना होगा। उसका पूरा अध्ययन करना होगा। पंचायत समितियां बाकी की क्यों नहीं कर पाईं प्रभावशाली ढंग से काम और बाकी की पंचायतें और जिला परिषदें क्यों नहीं कर पाई? तो जब तक उनके सारे कारणों की समीक्षा नहीं कर लेंगे, तब तक हम सारी बातों पर ठोस सुझाव नहीं दे पावेंगे। इसके अभाव में जल्दी जल्दी कुछ भी करना व्यर्थ में समय नष्ट करना होगा।

जहां तक सरकार का बहाना है कि नवम्बर में चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिये इसे ला रहे हैं तो हम मानते हैं शायद जैसा कह रहे हैं दिसम्बर में करा देंगे। पर नवम्बर दिसम्बर में कराना न कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और चुनाव कराना है इसलिये यह कह देना कि एक दिन में रिपोर्ट पढ़ लो और बहस कर लो, उचित नहीं है। अगर आपका इरादा ऐसा ही था और हमारी राय के आप इन्तजार में थे, तो बीस दिन पहले भी यह रिपोर्ट हमें दी जा सकती थी।

श्री भीखाभाई : यह रिपोर्ट ही कमेटी ने बीस दिन पहले दी है।

श्री रामकिशन : वही मैं निवेदन

(श्री रामकिशन)

कर रहा हूं। आप थोड़े जल्दबाज हैं न ? मन्त्री महोदय को अध्ययन दल ने बीस दिन पहले रिपोर्ट क्यों दी ? कुछ दिन और पहले देने के लिये मजबूर करते । केवल रिपोर्ट के खूबसूरत पन्नों को देखने से ही काम चल जावेगा, अगर यह सरकार समझती थी और इसलिये हमें दिया है तो बलिहारी है सरकार की इस समझ पर। धन्यवाद है इसके लिये सरकार को और आपको।' बाकी तो हमारे लिये यह उपयोगी है नहीं इस समय, जब तक हम इसका पूरी तरह से अध्ययन न कर लें। मैं और चाहता हूं कि इसका जल्दी से अनुवाद आप सरल और सुबोध भाषा में कराएं, संस्कृतनिष्ठ ब्राह्मणों वाली भाषा में न हो, तो इसका अनुवाद आप जल्दी से कराएं और सबको बांटें। जिससे पंचायत समितियों के मेम्बर, पंचायतों और जिला परिषदों के मेम्बर, आम जनता और सदन के समस्त सदस्य वे सभी इसका अध्ययन कर सकें और इस तरह से अध्ययन करके जो वे सुझाव देंगे वे बहुत ठोस होंगे और जो दफ्तरों में टेबिलों पर बैठकर, इसे पढ़कर सुझाव देते हैं, उनसे वे कहीं ज्यादा कीमती होंगे। दफ्तर में बैठकर सुझाव देने वाले बाबूओं को उनकी वास्तविक कठिनाईयों का ज्ञान नहीं हो सकता, इसका सही ज्ञान तो उन लोगों को स्वयं को है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे, खास तौर से भीखा भाई से मेरा निवेदन है वे समझें। जहां ऐसा अनर्थपूर्ण काम होता है, वह उनको दे दिया जाता है। जिनके इलाके के लोग अंगूठा लगाते हैं, निरक्षर हैं, पिछड़े हुए हैं उन्हीं के प्रतिनिधि को यह अंग्रेजी का भार सौंपा हैं, सुखाड़िया सरकार बड़ी चालाक है। यह सुखाड़ियाजी की चालाकी है। यह काम इन्हीं को सौंपा और कोई बचा ही नहीं। जिनके वोटर, जिनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी में अंगूठा लगाते हैं वे अंगूठा मन्त्री, उन्हीं से सम्बन्धित इस पंचायत बिल को अंग्रेजी में पेश करें। फिर कहें कि वे सब लोग इसको समझें। बेचारों को मजबूर किया जा रहा है, यह सुखाड़िया सरकार की चाल है। योजना-मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी की चाल है यह। वे चाहते हैं भीखाभाई को चकमा दिया जावे तो इन पिछड़े इलाके से आने वाले मन्त्री के साथ हमारी हमेशा सहानुभूति रही है। ये पिछड़े इलाके के हैं; हमारा उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण है।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो संशोधन रखे गये हैं, अब मैं उन पर विचार व्यक्त करने के लिए सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधान के चुनाव की बात आती है। मैं इसे मानता हूं और प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है कि प्रधान का चुनाव अब तक जिस तरीके से होता है। निश्चित रूप से अब तक २०-२५ आदमियों को मोटर में बैठाकर ले जाते थे और हरिद्वार घुमा लाते थे और प्रधान बन जाते थे। लेकिन अब जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उसके अनुसार दो सौ, ढाई सौ आदमियों को मोटर में बैठाकर ले जाना मुश्किल हो जायेगा। पहले तो बीस-पच्चीस आदमियों को एक मामूली सी हैसियत वाला आदमी ले जाता था, लेकिन अब दो सौ-ढाई सौ आदमियों को ले जाने वाला कम से कम लाख-डेढ़ लाख का आदमी होगा और इसका नतीजा यह होगा कि आप पूंजीवादियों

(श्री रामकिशन)

को इस प्रकार की शासन संस्थाओं में कब्जा करने का मौका दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि प्रधान का चुनाव भी बालिग मताधिकारी द्वारा होना चाहिए ताकि उसके अन्दर पिछड़े इलाके के लोग भी आ सकें। हमारी जितनी पंचायत समितियां है, उनमें हरिजन या आदिवासी एक भी प्रधान नहीं है और उसका कारण है। आदिवासी क्षेत्रों की बात तो आप छोड़ दीजिए, वहां तो होंगे ही लेकिन उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में आप बता दें एक ही हरिजन या आदिवासी प्रधान हो तो। दूसरे स्थानों पर भी हरिजन प्रधान नहीं बन पाया, उसका कारण यह है कि वह लोग इतने लोगों को खुश नहीं रख सकते। हमारे क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव के समय में इतना तक हुआ कि सरपंचों को हरिद्वार निहलाने ले गए और अबकी से चुनाव होंगे तो कलकत्ता दिखाना पड़ेगा प्रधानों को। इसका नतीजा यह होगा कि धीरे धीरे यह सब व्यवस्था पूंजीवादी लोगों के हाथ में चली जायेगी। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि इस सारे मामले पर फिर से विचार किया जाये और मतदान का अधिकार प्रत्येक बालिग को होना चाहिए।

दूसरा सुझाव और है और वह यह है कि हमारा देश जाति-पांति में बंटा हुआ है और देशवासियों में ऊंच-नीच की भावना बहुत है और हमें समाज के शत-प्रतिशत लोगों को समान स्तर पर लाना है और जैसा कि कहा गया है कि हमारे समाज के ४० प्रतिशत लोग जो कि पिछड़े हुए हैं उनको ताकतवर बनाना है और उनको बलशाली बनाना है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो न तो हम राज्य को बलशाली बना सकते हैं और न देश को और न समाज को। मेरा दूसरा सुझाव है कि जैसे हमारे यहां विधान सभा में ऐसे व्यक्तियों के लिए स्थान सुरक्षित हैं, जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा है, वहां से प्रधानों के चुनाव कर दिये जायें। जैसे विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं, वहां से हरिजन ही केवल चुनाव लड़ सकेंगे, ऐसी जो व्यवस्था बनी हुई है वैसी ही प्रधानों के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए जहां हरिजनों की या आदिवासियों की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी ज्यादा है, वहां पर वे ही चुनाव लड़ पायेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करने का सुझाव मेरा है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा समाजवाद का केवल प्रचार है। कांग्रेस की तरफ हमारे कुछ हरिजन लोग बैठे हैं, आदिवासी बैठे हैं, मंत्री जा बैठे हैं, लेकिन वह इस पर ही संतोष कर लेते हैं, इनको भला समझते हैं कि हम तो आ गये और केबिनेट में ले लिए गए। लेकिन मैं बता दूं कि उनका इससे सुधार होने वाला नहीं है। तो दूसरा सुझाव मेरा यह है कि प्रधानों के लिए क्षेत्र रिजर्व कर दिये जायें ताकि वहां से केवल वे ही आ सकें।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अभी कुछ हुआ ही नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष : यह संक्षेप में रहने के लिए सूचना है।

श्री रामकिशन : मैं खुद ही ज्यादा नहीं बोलता हूं। जो जरूरी जरूरी बातें हैं वही कहूंगा।

(श्री रामकिशन)

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में एक बात और कही गई है, और सरकार इसको माने या नहीं कि न्याय पंचायतों में हरिजनों और महिलाओं का सहवरण नहीं होना चाहिए और यह उपयोगी साबित नहीं हुआ। अब वह उपयोगी हुआ या नहीं यह बहस का विषय इस समय यहां नहीं है। अभी महिलायें पुरुषों के बराबर पर्दा हटाकर बैठ जायें यही बहुत है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के विचार ही संस्कार में नहीं आने चाहिए। जो पिछड़े हैं, दबे हैं, बेसहारे हैं, उनको तो सहारा देना पड़ेगा कम से कम अभी दस पन्द्रह साल। यह जो ऊंची जाति, सवर्ण लोग हैं यह हजारों सालों से इन पर हावी रहे हैं इसलिए उनके पहनने, खाने-पीने और सब प्रकार की चीजों पर असर पड़ा है। तो जब तक हम छोटे वर्गों को सहारा नहीं देंगे तब तक हम कल्याणकारी राज्य कायम नहीं कर पायेंगे।

तीसरा सुझाव यह है कि न्याय पंचायत में जो सरकार संशोधन लाये तो सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करें क्यों कि यह बहुत ही खतरनाक विषय है। वर्ना कल तो यह भी सुझाव दे सकते हैं कि विधान सभा में जो १७६ सदस्य हैं उनमें से केवल १५-२० सदस्य ही बोलते हैं इसलिए बाकी के लोगों की जरूरत नहीं है। जो दबे हुए लोग हैं, उनको सहारा देना हमारा कर्तव्य है। हम जो समाजवाद का अर्थ लगाते हैं उसका मतलब यही है कि हम दबे हुए लोगों को सहारा दें। इस बिल में जितने संशोधन हैं, वह अपर्याप्त हैं। वैसे सादिकअली रिपोर्ट पढ़ने से कुछ उपयोगी सुझाव भी सामने आये हैं, जैसे विकास अधिकारी के मामले का सवाल है। सारी बातों को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।

अगला सुझाव मेरा यह है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, इसमें पंचायत समितियों से कोऑप्शन के दो तीन मेम्बर्स लाये गये हैं।

मेरा कहना यह है कि दो-तीन मेम्बर्स नही लेने चाहिये, बहुत ज़्यादा हैं। उनको वहां पर प्रतिनिधित्व मिले तो वह अपना वोट दें और जब वह सभी मामलों में सदस्यों की तरह माने जाते हैं तो उनको अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब उनको प्रतिनिधित्व मिल जाये और उसका मेम्बर बन जायें तो चुनाव लड़ने से तो उसको रोक सकते हैं लेकिन वोट देने से और पंचायत के डेलीबरेशन्स में भाग लेने से उनको रोकना लोकतंत्र की हत्या होगी। एक तरफ तो आप मेम्बर बनाते हैं और दूसरी तरफ उनको वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो फिर इसमें कोई तालमेल नहीं है........

श्री मथुरादास माथुर : सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं और एडजोर्न कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : तब तो धन्यवाद है। सरकार दो बार पराजित हो गई है।

Page No. 75

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत बहस हुई और कुछ उपयोगी सुझाव भी आये, लेकिन क्योंकि मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये है उन पर और अधिक विचार होकर गम्भीरतापूर्वक जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनका हल निकालकर जो माननीय सदस्यों का सुझाव हैं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाये, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां पर कहा गया कि यहां जो सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और प्रसारित की गई और मैंने उसको पढ़ा नहीं वह गलत बात है। यह ४-६ दिन पहले दे दी गई थी। इसके साथ ही एक छोटी रिपोर्ट भी दी गई है। इसलिए यह कहना कि सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी, यह बात गलत है। सैकिण्ड पार्ट तो इलेक्शन के बाद का लिया है। इसलिए हम जो बिल लाये हैं वह इलेक्शन के सम्बन्ध में लाये हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता था कि श्री रामकिशनजी ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आपको बताऊं कि जो यह कमेटी थी उसमें एम० एल० ए०, एम० पी० थे और यह सादिकअली की अध्यक्षता में बनाई थी और इसमें नॉन-ऑफिशियल्स मेम्बर्स भी थे। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही यहां के माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वह इसको आगे जाकर पढ़ें और यहां पर जो प्रस्ताव आये हैं कि यह प्रवर समिति में सुपुर्द किया जाये मैं स्वीकार करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह : जो पंचायतों के इलेक्शन नवम्बर में होने को है उनका क्या होगा ?

श्री भीखाभाई : सारा कार्यक्रम जैसी पहले घोषणा की गई है, उसके अनुसार ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे।

(विराम)

I don't put it to vote.

प्रश्न यह है कि पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

(विराम)

प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :—

(१) श्री भीखाभाई, चेयरमेन

(२) श्री भवानीशंकर नन्दवाना

(३) श्री रामकिशन

(४) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(५) श्री भैरोंसिंह

(श्री उपाध्यक्ष)

(६) श्री केसरीसिंह (पाली)

(७) श्री चौसरसिंह

(८) श्री घासीराम यादव

(९) श्री रावतराम।

(१०) श्री सीसराम ओला

(११) श्री रघुवीरसिंह (सरमथुरा)

(१२) श्री जयकृष्ण शर्मा

(१३) श्रीमती नगेन्द्रबाला

(१४) श्री गंगाराम चौधरी

(१५) श्री देवीलाल

(१६) श्री कानालाल रेगर

(१७) श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३)

(१८) श्री मोहरसिंह

(१९) श्री भीमसेन

(२०) श्री रामदेवसिंह

(२१) श्री बृजेन्द्रपाल सिंह

अब सदन की बैठक दिनांक १९ अक्टूबर, १९६४ के ११ बजे प्रातःकाल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक प्रातः ११ बजकर ३२ मिनिट पर दिनांक १९ अक्टूबर, १९६४ के प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३० का उत्तर देखिये)

समाजकल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों की कोलोनीज हेतु दी गई सहायता की सूची

क्रमांक	स्थान	जिला	वर्ष	धनराशि जो कोलोनी के लिये स्वीकृत की गई	कोलोनी में बसने वाले परिवारों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१.	मूलातलाई	उदयपुर	१६५६–५७	४८०००	४२
२.	बरसापुर	सवाई माधोपुर	१६५६–५७	४१५००	५०
३.	कुन्दनपुरा	जयपुर	१६५६–५७	३३१००	५०
४.	कोंवट	सीकर	१६५६–५७	३२६००	३६
५.	सेवारी	पाली	१६५६–५७	३३६००	५०
६	सुराबाद	उदयपुर	१६५७–५८	४५५००	५०
७.	फतेहटीबा	जयपुर	१६५७–५८	३६७५०	४६
८.	बरदासर	चूरू	१६५७–५८	४४६३०	५०
९.	सांगानेर	जयपुर	१६५७-५८	३८०००	५०
१०.	गीलून्ड	उदयपुर	१६५८–५९	३७५००	५०
११.	अमृतपुरी	जयपुर	१६५९–६०	५०५००	५०
१२.	सरदारशहर	चूरू	१६६०–६१	१४१२५०	१७१

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति परबतसर द्वारा पिछले तीन वर्षों में पम्पिंग सेट के लिए दिये गये ऋण की सूची :

क्रमांक	नाम	रकम
१	श्री शंकरलाल बिदीयाद	रु ५०००)
२.	श्री प्रतापसिंह बागोट	३०००)
३.	श्री रामबल्लभ पकारी	३०००)
४.	श्री जयसिंह आजवा	५०००)
५.	श्री वीरेन्द्रसिंह बागोट	५०००)

* शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २४ अगस्त, १६६४)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	अन्तिम से ५	श्री हरिदत्तसिंह	श्री हरदत्तसिंह
६	१,१६,	श्री हरीभाऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	अन्तिम से ३	श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचो)	श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :
७	७	राष्ट्रीयकरण	राष्ट्रीयकरण
६ से १४ तक	शीर्षक	तार तिक	तारांकित
१२	१६	(सरड़ा)	(सराड़ा)
२०	१६	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
२३	१०	श्री अब्दुल जब्बार खां	श्री अब्दुल जब्बार
२५	१२	,, ,, ,,	,, ,, ,,
२८	अन्तिम से ७	श्री चतुर्भुज उपाध्याय	श्री चुतुर्भुज उपाध्याय
२६	,,	,, ,, ,,	,, ,, ,,
४१	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
५३	,,	अनुपस्थित सदस्यों के	,, ,, ,,
५६	,,	खाद्यान्न संग्रह विषयक	,, ,, ,,
,,	८	उप-मन्त्री शिक्षा,	उप-मंत्री, शिक्षा
६५	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
,,	अन्तिम से ५	श्री अमरसिंह सांवरदा	श्री अमरसिंह
७०	७	विफान	विधान
७१	शीर्षक	(श्री पंचायत मंत्री)	——
७३ व ७४	,,	अतारांतिक प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७३	शीर्ष	——	(श्री गोविन्दसिंह)
१०३	,,	श्री अध्यक्ष	(श्री अध्यक्ष)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१०४	६	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
१०५	अन्तिम से ४	(श्री नारायणसिंह	(राव श्री नारायणसिंह
१३३	११	घंटी	घंटी)
,,	२२	प्रस्ताव	[प्रस्ताव
१४२	शीर्षक	विधेयक	विधेयक

* **नोट** :—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में प्रथक से मुद्रित होगा ।